आवास और भूमि अधिकार संगठन
(हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क)

जबरन बेदखली की स्थिति में क्या करें?

एक पुस्तिका

जबरन बेदखली की स्थिति में क्या करें ?

द्वितीय संस्करण, सितंबर 2015

मूल विषयवस्तु (अंग्रेजी): शिवानी चौधरी

अनुवाद एवं डिजाइन: महेन्द्र बोरा (9910406059)

प्रकाशक:
आवास और भूमि अधिकार संगठन (हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क)
जी-18/1, निजामुद्दीन वेस्ट, लोवर ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली-110 013
फोन/फैक्स: +91-11-4054-1680
ई-मेल: contact@hlrn.org.in   वेबसाइट: www.hlrn.org.in

मुद्रक:
कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स, दिल्ली-110092
kpgdelhi@yahoo.com

जबरन बेदखली की स्थिति में क्या करें?

एक पुस्तिका

आवास और भूमि अधिकार संगठन
(हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क)
नई दिल्ली

विषय–सूची

1. **परिचय** **4**

2. **उपयुक्त आवास के लिए मानवाधिकार का क्या तात्पर्य है?** **8**

3. **जबरन बेदखली क्या है?** **11**

4. **जबरन बेदखली के दौरान कौन से मानवाधिकार प्रभावित होते हैं?** **14**

5. **जबरन बेदखली की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आपके क्या अधिकार हैं?** **16**

6. **जबरन बेदखली की स्थिति में भारतीय कानून के तहत आपके क्या अधिकार हैं?** 25
    1. भारत का संविधान 26
    2. राष्ट्रीय नीतियां 27
    3. अदालती फैसले 29

7. **जबरन बेदखली की स्थिति में दिल्ली कानून के तहत आपके क्या अधिकार हैं?** **32**
    1. दिल्ली का मास्टर प्लान, 2021 33
    2. दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम (डीडीए), 1957 34
    3. सार्वजनिक स्थल (अवैध कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 34
    4. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का अधिनियम, 1957 34
    5. मलिन बस्ती (सुधार एवं निकासी) अधिनियम, 1956 34
    6. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) की नीतियां 35

8. **बेदखली के मामले में अंतर्राष्ट्रीय दिशा–निर्देश व मानक क्या हैं, जिनका अनुपालन आवश्यक है?** **36**
    1. बेदखली से पूर्व 38
    2. बेदखली के दौरान 38
    3. बेदखली के बाद 39
    4. बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा–निर्देश 40
    5. महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा–निर्देश 41

विषय–सूची

9. जबरन बेदखली की स्थिति में आपके लिए कौन से समाधान उपलब्ध हैं? 42

1. उचित एवं त्वरित मुआवजा 43
2. मुआवजा एवं बहाली 43
3. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन 44

10. जबरन बेदखली को रुकवाने/विरोध अथवा न्याय पाने के लिए उठाये जा सकने वाले कदम 45

1. याचिका/जनहित वाद (पीआईएल) दायर करना 46
2. मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं बेदखली के दस्तावेज 46
3. बेदखली व पुनर्वास से संबंधित सूचना के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अपील दायर करना 47
4. बेदखली असर आकलन 48
5. तथ्य खोज (फैक्ट फाइंडिंग) 50
6. सांसदों/विधायकों पर दबाव डालना 50
7. सविनय अवज्ञा कार्यक्रम आयोजित करना 50
8. पत्र लेखन/पोस्ट कार्ड अभियान 51

11. जबरन बेदखली के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर आप किससे संपर्क कर सकते हैं? 53

1. उपयुक्त जिम्मेदार सरकारी अधिकारी 54
2. मानवाधिकार संस्थाएं 55
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 55
4. मीडिया 56
5. उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष प्रतिवेदक 57
6. संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्य प्रावधान 57
7. संयुक्त राष्ट्रसंघ संधि निकाय 60
8. संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार परिषद् 62

12. निष्कर्ष 66

1

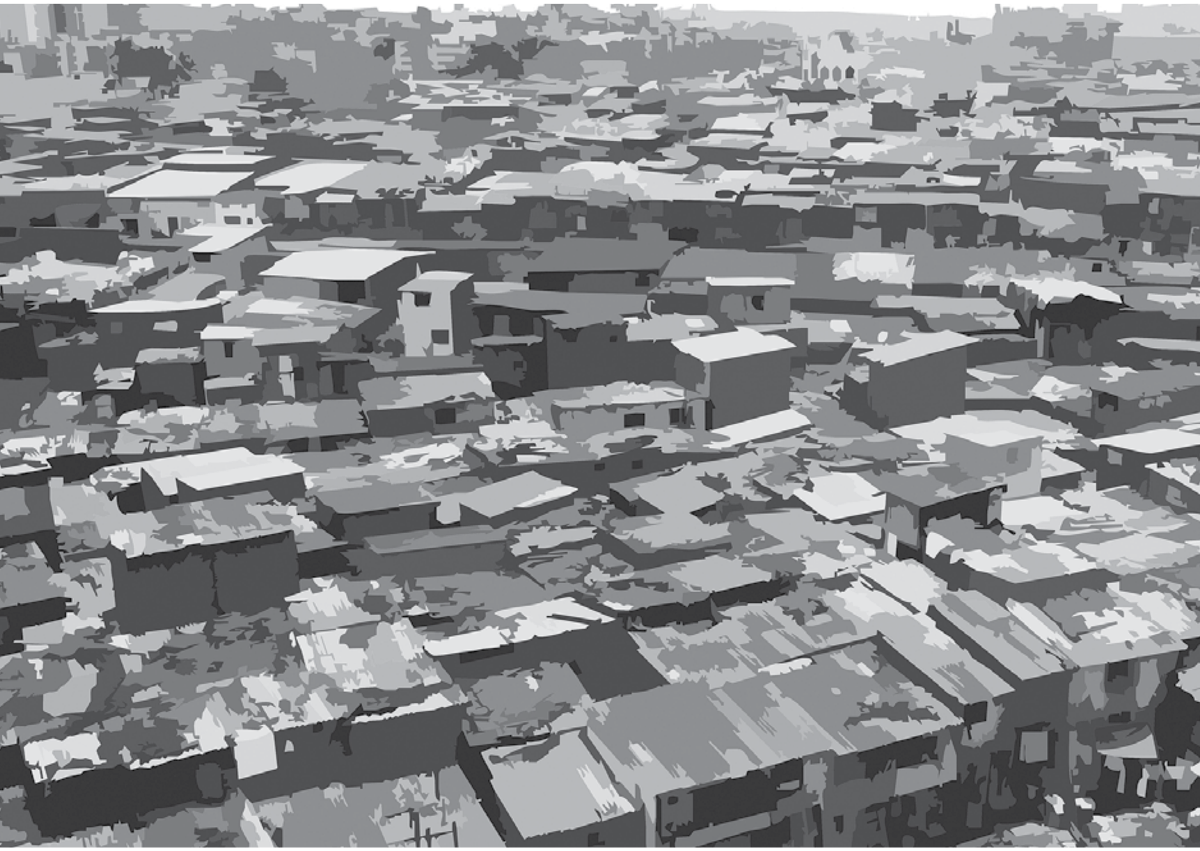

परिचय

भारत की जनगणना 2011 यह दर्शाती है कि देश की 31 प्रतिशत जनसंख्या यानी लगभग 3,800 लाख लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इस हिसाब से वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर 6,000 लाख होने की संभावना है।

पिछला दशक विश्व भर में जबरन बेदखली में हुई बेतहाशा वृद्धि का गवाह रहा है। इसके पीछे अनेक कारण हैं, जिनमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विशाल आधारभूत संरचनाएं और विकास की बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं जिनका बांध निर्माण, खानों एवं बंदरगाहों के निर्माण, शहरों के नवनिर्माण व विस्तार, नगर सौंदर्यीकरण, खेल एवं अन्य बड़ी परियोजनाओं तथा औद्योगिक विकास से सीधा संबंध है। इन तमाम बड़ी परियोजनाओं को लागू करने के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त की जा रही है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा पर्यावरण के संरक्षण की योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनकी वजह से आम लोगों तथा विभिन्न समुदायों को उनके घरों एवं पर्यावासों से जबरन बेदखल किया जा रहा है। समुचित पुनर्स्थापन के अभाव में लोगों के सामने आवास का संकट गहरा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर कष्टपूर्ण पलायन बढ़ गया है और परिणामस्वरूप उनकी पारंपरिक आजीविका को नुकसान पहुंचा है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तथा कम आय वाले समूहों (एलआईजी) के लिए कम लागत एवं सस्ते आवास की सरकारी योजनाओं के अभाव की वजह से दसवीं पंचवर्षीय योजना के आखिर में राष्ट्रीय शहरी आवास के तहत 2.47 करोड़ आवासीय इकाइयों की कमी थी, जबकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-2012) में 2.7 करोड़[1] आवासीय इकाइयों की कमी का अनुमान है, जिनमें 99 फीसदी कमी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा कम आय वाले समूहों से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए कुल 4.7 करोड़ ग्रामीण आवासों की कमी का आकलन किया गया, जिनमें 90 फीसदी संख्या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों[2] की बतायी गयी थी।

---

1. शहरी आवास पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (कार्यशील समूह) की रिपोर्ट, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार

2. ग्रामीण आवास पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (कार्यशील समूह) की रिपोर्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

भारत की जनगणना 2011 यह दर्शाती है कि देश की 31 प्रतिशत जनसंख्या यानी लगभग 3,800 लाख लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इस हिसाब से वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर 6,000 लाख होने की संभावना है।[3]

उक्त रिपोर्ट देश में आवासीय कमी की नाजुक स्थिति को दर्शाती है। देश की ज्यादातर आबादी दयनीय व अपर्याप्त हालातों में कम सुविधा वाले घरों एवं मलिन बस्तियों में रहने को विवश है। नागरिक संस्थाओं व सरकार दोनों के अनुमान के अनुसार मुम्बई महानगर की लगभग 60 प्रतिशत तथा दिल्ली की लगभग 50 प्रतिशत आबादी मलिन व अस्थाई बस्तियों में निवास करती है। उक्त दोनों महानगरों की जो आबादी कम सुविधायुक्त आवासों में रह रही है, यदि उसे भी इन आंकड़ों में शामिल कर लिया जाये तो यह संख्या और अधिक बढ़ जायेगी। ये स्थितियां यही दर्शाती हैं कि देश की शहरी आबादी के एक बड़े हिस्से के पास उपयुक्त आवास और मूलभूत सुविधाओं की अत्यन्त कमी है या फिर इन सुविधाओं तक उनकी कोई पहुंच नहीं है।

मलिन बस्तियों की भूमि उपयोग की अनिश्चितता के कारण और दूसरी तरफ मलिन बस्तियों से मुक्त विश्व-स्तरीय शहरों की संरचना के लिए लगातार गढ़े जा रहे विकास के मॉडल के कारण अक्सर उन लोगों, जो मलिन बस्तियों एवं अस्थाई भूमि में रह रहे हैं, के मन में जबरन बेदखली और अपने घरों के ढहाये जाने का भय सताता रहता है।

उचित लागत के आवासों की कमी, मूलभूत सेवाओं की कमी तथा भूमि उपयोग की समय सीमा पर कानूनी सुरक्षा की कमी -ये भारत में आवास से संबंधित नाजुक मुद्दे हैं। राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 में भी यह स्वीकार किया गया है कि **'मलिन बस्तियों में आवासीय संरचना का स्तर अत्यधिक दयनीय है। भूमि उपयोग अवधि की कानूनी असुरक्षा इसका एक महत्वपूर्ण कारण है।'**[4]

3. भारत की जनगणना 2011, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। इस लिंक पर उपलब्ध है:- http://censusindia.gov.in/

4. राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007, पैरा 1.15

नगरीय (एवं ग्रामीण) अधिकार

'नगरीय अधिकार' के लिए आंदोलन नगरों में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और विशेषकर अत्यधिक उपेक्षित और वंचित वर्गों के लिए बेहतर पहुंच एवं अवसर सुनिश्चित कराने के लिए सामाजिक समूहों और नागरिक संस्थाओं जैसे संगठनों के रचनात्मक प्रयासों के फलस्वरूप आगे बढ़ा। विश्व भर में हुए सामाजिक आंदोलन एवं संगठनों ने नगरीय अधिकारों पर एक वैश्विक दस्तावेज विकसित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य किया, जिसे यूनेस्को (यूनाइटेड नेशंस एजूकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन), यूएन हैबिटाट और अन्य एजेंसियों का समर्थन प्राप्त हुआ। दस्तावेज में जीवन निर्वाह के आधारभूत सिद्धांत, लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय के बीच नगरों के एक समान उपयोगाधिकार को 'नगरीय अधिकार' के रूप में परिभाषित किया गया है। यह शहर के लोगों और खासतौर से नगरों के असहाय तथा उपेक्षित समूहों का एक सामूहिक अधिकार है जो उन्हें ऐसे कार्य और संगठन की वैधता प्रदान करता है जो उनके प्रचलित रीति-रिवाजों के साथ ही स्वतंत्र दृढ़ आत्मनिर्णय संबंधी अधिकारों के पूर्ण उपयोग और एक यथोचित आवासीय स्तर प्राप्ति के उद्देश्य पर आधारित हो।

इस प्रकार 'नगरीय अधिकार' नगर विशेष के सभी निवासियों का नगर द्वारा प्रदत्त सभी अवसरों/लाभों में समान हिस्सेदारी के अधिकार के साथ-साथ नगरीय योजना एवं विकास संरचना में समान रूप से भागीदारी का अधिकार है।

'नगरीय अधिकार' का यह वैश्विक आंदोलन विभिन्न नगरों के नगर प्रमुखों तक भी पहुंचा है ताकि वे अपने-अपने नगरों में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इस वैश्विक दस्तावेज को स्वीकार करें। भारत सरकार को भी 'नगरीय अधिकार' को मान्यता एवं प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य करना चाहिए तथा अपने सिद्धांतों को सभी स्थानीय नगरों की विकास परियोजनाओं में शामिल करना चाहिए।

2

उपयुक्त आवास के लिए मानवाधिकार का क्या तात्पर्य है ?

विश्व की अधिकांश आबादी अलग-अलग आकार-प्रकार के घरों में निवास करती है। विश्व जनसंख्या की लगभग आधी आबादी को उपयुक्त आवास के लिए निर्धारित आवश्यक मानकों के अनुरूप आवासीय सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून तथा इसकी घोषणा में यह भली-भांति सुनिश्चित किया गया है कि आवास मात्र एक छत और चार दीवारों का एक भौतिक ढांचा भर नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक परिकल्पना है, जिसमें अनेक तत्वों और अन्य चीजों का पूर्ण समावेश होता है, जो एक सुरक्षित और पक्के आवास स्थल के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त आवास महज एक स्वैच्छिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह सभी मनुष्यों का एक मौलिक अधिकार है। वर्ष 1948 में मानवाधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जा चुका है, जो उपयुक्त आवास के अधिकार को जीने के उपयुक्त स्तर के लिए एक अभिन्न घटक के रूप में मान्यता देता है।

मानवाधिकारों पर वैश्विक घोषणा पत्र (यूडीएचआर) का अनुच्छेद 25.1 व्यक्त करता है कि:-

''प्रत्येक व्यक्ति को एक स्तरीय जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है जिसमें भोजन, कपड़े, घर, चिकित्सा देखभाल व जरूरी सामाजिक सेवाएं सम्मिलित होती हैं। इसके साथ ही बेरोजगारी, बीमारी, अपंगता, विधवा होने पर, वृद्धावस्था में अथवा आजीविका की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर जो व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो, इन सभी स्थितियों में भी उसे सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।''

मानवाधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र में स्थापित प्रावधानों के आधार पर उपयुक्त आवास के अधिकार को 'आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संधि' (आईसीईएसआर) 1966 द्वारा अधिक सुस्पष्ट, सुदृढ़ एवं विस्तारित किया गया है। इस उपयुक्त आवास के अधिकार को अनुच्छेद 11.1 निम्न प्रकार से व्यक्त करता है:-

वर्तमान संकल्प से संबंधित सभी राज्य पक्ष प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए उपयुक्त स्तर का अधिकार प्रदान करते हैं, स्वयं उसके लिए तथा उसके

परिवार के लिए भी। इस अधिकार में उपयुक्त भोजन, कपड़ा व आवास तथा जीने की स्थितियों में सतत सुधार शामिल हैं।

उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के विशेष प्रतिवेदक ने उपयुक्त आवास के मानवाधिकार को परिभाषित करते हुए लिखा है:

''प्रत्येक महिला, पुरुष, युवा व बच्चे को एक सुरक्षित घर प्राप्त करने और उसे बनाये रखने का अधिकार प्राप्त है, ताकि वह अपने समुदाय में शांति और सम्मान के साथ जीवन जी सके।''[1]

उपयुक्त आवास का मानवाधिकार सम्मान से जीने की अनुभूति से जुड़ा हुआ है तथा अन्य सभी मानवाधिकारों जैसे भोजन का अधिकार, काम का अधिकार, स्वास्थ्य, पानी, भूमि का अधिकार तथा घर एवं परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के अधिकार से सीधा जुड़ा हुआ है।

1. उपयुक्त आवास पर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट, मिलून कोठारी, ई/सीएन.4/2006/41, 21 मार्च 2006

3

जबरन बेदखली क्या है?

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति (सीईएससीआर) ने जबरन बेदखली को इस तरह परिभाषित किया है–

''व्यक्तियों, परिवारों अथवा समुदायों को उनके घरों तथा भूमि से, जिसमें वे काबिज हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध कानूनी व अन्य सुरक्षा की उचित व्यवस्था के बिना तथा उचित प्रावधानों के बिना स्थाई व अस्थाई रूप से हटा देना।''[1]

विकास आधारित बेदखली व विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांत एवं दिशा–निर्देश (2007)[2] जबरन बेदखली को इस प्रकार परिभाषित करते हैं–

''ऐसी कार्यवाहियां या भूलें जिनमें व्यक्तियों, समूहों तथा समुदायों को उनके घरों, और/या भूमि तथा आम संपत्ति/संसाधनों, जिनमें वे काबिज थे या जिन पर उनकी निर्भरता थी, से जबर्दस्ती या अनिच्छुक तौर पर विस्थापन जबरन बेदखली में शामिल हैं। इस तरह की कार्यवाहियां किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय की कार्यक्षमता को कम करती हैं जब उनको किसी विशेष प्रकार के आवास और वातावरण में बिना किसी कानूनी प्रावधान और संरक्षण के रहने को विवश किया जाता है।''

इसके अतिरिक्त **दिल्ली उच्च न्यायालय** ने वर्ष 2010 में दो फैसलों में यह स्वीकार करते हुए टिप्पणी की कि–

''जबरन बेदखली के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन होता आया है और लगातार जारी है।''

1. सामान्य टिप्पणी 7, उपयुक्त आवासीय अधिकार (अनुबंध का अनुच्छेद 11.1): जबरन बेदखली, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र की समिति, 1997

2. उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेष प्रतिवेदक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, ए/एचआर सी/4/18 फरवरी 2007 http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_en.pdf. Translations in other languages available at: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx and www.hic-sarp.org.

“

मलिन बस्तियों तथा झुग्गी वासियों से संबंधित जबरन बेदखली के पूर्व में लिए गये अदालती निर्णयों के अनुभव एवं उदाहरण दिल्ली शहर में भरे पड़े हैं। असहाय और परेशान नागरिकों को जबरन उनके घरों से बेदखल कर बरबाद कर दिया गया और उस पर राज्य के लम्बे हाथ कानूनी परिभाषाओं की अत्यधिक तकनीकी व्याख्या करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों एवं सुधारों की आड़ लेते हैं जिससे अवैध कब्जों/प्रभावितों को हटाये जाने की कार्यवाही कानूनन जायज ठहरायी जाती है, जबकि शहर में कई अवैध निर्माणों को तथा नियम विरुद्ध काबिज लोगों को नियमित और सुरक्षित कर दिया जाता है।[1]

”

1. *पी. के. कौल बनाम इस्टेट ऑफिसर एवं अन्य*, रिट पिटीशन (सी) नं. 15239/2004 एवं सीएम नं. 11011/2004, दिल्ली हाई कोर्ट, 30 नवंबर 2010

4

जबरन बेदखली के दौरान कौन से मानवाधिकार प्रभावित होते हैं ?

जबरन बेदखली न सिर्फ उपयुक्त आवास के मानवाधिकार का उल्लंघन करती है, बल्कि बहुत से अन्य अंतर्राष्ट्रीय मान्य मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करती है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

- व्यक्ति की सुरक्षा व घर की सुरक्षा का मानवाधिकार
- स्वास्थ्य का मानवाधिकार
- भोजन का मानवाधिकार
- पानी का मानवाधिकार
- काम-धंधा/आजीविका का मानवाधिकार
- शिक्षा का मानवाधिकार
- क्रूरता, अमानवीयता तथा अपमान से मुक्ति का मानवाधिकार
- आंदोलन की आजादी का मानवाधिकार
- सूचना का मानवाधिकार
- आत्म अभिव्यक्ति एवं सहभागिता का मानवाधिकार
- पुनर्वास का मानवाधिकार

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग प्रस्ताव, 1993/77 में सुनिश्चित किया गया है कि जबरन बेदखली उपयुक्त आवास के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।

5

जबरन बेदखली की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आपके क्या अधिकार हैं?

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि निकाय, विभिन्न मानवाधिकार संधियों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) से उद्भूत है:-

समुचित आवास का वादा और उससे जबरन बेदखली के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में विशिष्ट कानूनी प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

(1) शरणार्थियों की स्थितियों से संबंधित करार (1951)[1]

अनुच्छेद-21

आवास के अधिकारों के संबंध में करार में शामिल राज्य/राष्ट्र, जहां तक मामला विनियमों या कानूनों द्वारा विनियमित है या सरकारी प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन है, करार के अनुसार अपने क्षेत्र में जहां तक संभव हो, शरणार्थियों के विधिवत् रहने का प्रबंध करेगा, जो कि उन्हीं परिस्थितियों में किसी भी गैर-देशीय को दी जाने वाली सहानुभूतिपूर्ण सुविधाओं से किसी भी प्रकार से कम अनुकूल न हो।

(2) नस्लीय भेदभाव के सभी स्वरूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय करार (1965)[2]

अनुच्छेद-5

(1) अपने सभी स्वरूपों में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने तथा उस पर रोक लगाने और जहां तक नस्ल, रंग या राष्ट्रीय अथवा मानव सभ्यता के विकास का सवाल है, प्रत्येक को कानून के समक्ष समानता के अधिकार के विश्वास के लिये, विशेषरूप से उपभोग में .... (ई) ... (2) आवास का अधिकार

---

1. शरणार्थियों की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय करार, जुलाई 1951; निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:-
http://www. Ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx

2. सभी प्रकार के नस्लीन भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय करार, दिसंबर 1965; निम्न लिंक पर उपलब्ध है:-
http://www. Ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

(3) सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (1966)[3]

अनुच्छेद-11.1

मौजूदा करार के तहत् करार (अनुबंध) के राज्य/राष्ट्र पक्ष, जीवन निर्वाह की स्थितियों के निरंतर सशक्तिकरण और भोजन, आवास एवं परिधान सहित अपने तथा अपने परिवार के भरण-पोषण के मानकों हेतु प्रत्येक के अधिकार को मान्यता देते हैं। राज्य/राष्ट्र पक्ष (पक्षों द्वारा) इस अधिकार के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये, स्वतंत्र सहमति पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरूरी महत्व पर इसके प्रभाव को जानने के लिये समुचित उपाय करेंगे/किये जायेंगे।

(4) राजनीतिक और नागरिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति करार (1966)[4]

अनुच्छेद-17

(1) किसी भी व्यक्ति की निजता, उसके परिवार या संगति को अलग-थलग या गैरकानूनी दखलंदाजी से विवश या अधीनस्थ नहीं किया जायेगा और न ही उसकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान को गैरकानूनी तरीके से हानि पहुंचायी जायेगी।

(2) इस प्रकार के दोषारोपण तथा दखलंदाजी के खिलाफ प्रत्येक व्यक्ति को विधिक संरक्षण का अधिकार प्राप्त है।

---

3. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, दिसंबर 1966; इस लिंक पर उपलब्ध है:- http://www. Ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

4. नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, दिसंबर 1966; इस लिंक पर उपलब्ध है:- http://www. Ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

(5) महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी स्वरूपों के उन्मूलन पर करार (1979)[5]

अनुच्छेद-14.2

करार में शामिल राज्य/राष्ट्र पक्ष, ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी और उसके लाभ को सुनिश्चित करने के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में, महिला और पुरुष की बराबरी के आधार पर महिलाओं के प्रति भेदभाव को खत्म करने के लिये सभी समुचित उपाय अमल में लायेंगे, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने के लिये ... (एच) ... जीवन निर्वाह की बेहतर परिस्थितियों, खास तौर पर आवास, साफ-सफाई, बिजली तथा पेयजल आपूर्ति, परिवहन एवं संचार व्यवस्था के उपभोग करने के लिये।

(6) बाल अधिकारों पर करार (1989)[6]

अनुच्छेद-16.1

किसी भी बालक या बालिका की निजता, परिवार या संगति को अलग-थलग या गैरकानूनी हस्तक्षेप से विवश या अधीनस्थ नहीं किया जायेगा और न ही किसी बालक-बालिका की मान-सम्मान को गैरकानूनी तरीके से क्षति पहुंचायी जायेगी।

अनुच्छेद-27.3

करार में शामिल राज्य/राष्ट्र पक्ष राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा मौजूदा संसाधनों के मद्देनजर बाल अधिकारों के कार्यान्वयन हेतु उनके (बच्चों के) माता-पिता और अन्य अभिभावकों की सहायता के लिये समुचित उपाय करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर खासतौर से आवास एवं परिधान (वस्त्र), पोषण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सहायता कार्यक्रम और सामाग्री सहायताएं उपलब्ध करायेंगे।

---

5. महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर करार, दिसंबर 1979; इस लिंक पर उपलब्ध है:- http://www. Ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

6. बच्चों के अधिकारों पर करार, नवंबर 1989; इस लिंक पर उपलब्ध है:- http://www. Ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

(7) सभी प्रवासी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय करार (1990)[7]

अनुच्छेद-43 (1) (डी)

सेवायोजन के मामले में प्रवासी श्रमिक करार में शामिल राज्य/राष्ट्र पक्षों के नागरिकों की भांति व्यवहार की समानता का अधिकारी होगा ... (डी) किरायेदारी के मामले में सामाजिक आवास योजनाओं सहित आवास और शोषण के खिलाफ संरक्षण हेतु उपयोग।

(8) विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर करार (2006)[8]

अनुच्छेद 5.3

विकलांग व्यक्तियों के मामले में समानता के संवर्धन और भेदभाव खत्म करने के अनुसरण में, करार में शामिल राज्य/राष्ट्र पक्षों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकलांग व्यक्तियों को अनुकूल माहौल और पर्याप्त आवास प्रदान किया गया है, के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

अनुच्छेद 9.1 (ए)

भौतिक परिवेश तक अन्य लोगों के साथ बराबरी के आधार पर, विकलांगता के साथ उनकी (विकलांग व्यक्तियों की) पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए करार में शामिल राज्य/राष्ट्र समुचित उपाय करेंगे, ताकि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी हेतु तथा स्वतंत्र रूप से जीने के लिए विकलांगता के साथ सक्षम हो- ये उपाय जिनमें पहुंच के लिए अवरोधों और बाधाओं की पहचान तथा उन्मूलन शामिल होगा, अन्य बातों के साथ करने के लिए लागू नहीं होंगे: ...(ए) इमारतों, सड़कों, परिवहन और स्कूलों, आवास, चिकित्सा सुविधाओं तथा कार्यस्थलों सहित घरेलू एवं बाहरी सुविधाएं।

---

7. सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवार के सभी सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय करार, दिसंबर 1990; इस लिंक पर उपलब्ध है:-
http://www. Ohchr.org/Documents/ ProfessionalInterest/cmw.pdf

8. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों पर करार, जनवरी 2007; इस लिंक पर उपलब्ध है:-
http://www. Ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/CRPD_ENG.pdf

अनुच्छेद-19 (ए)

इस करार के मुताबिक, करार के पक्षकार राज्यों/राष्ट्रों ने सभी विकलांग व्यक्तियों को, अन्य लोगों के समान विकल्पों के साथ, समुदाय में रहने के बराबरी के अधिकार को मान्यता दी है। यह सुनिश्चित करने कि विकलांग व्यक्तियों को प्रदत्त इस अधिकार के पूर्ण उपभोग की सुगमता हेतु और समाज में उनके पूर्ण समावेश तथा भागीदारी के लिए प्रभावी तथा समुचित उपाय करेंगे-

(ए) विकलांग व्यक्तियों को निवास का स्थान चुनने का अवसर प्राप्त है और जहां वे जिन अन्य लोगों के साथ में एक समान आधार पर रहते हैं और वे किसी विशेष व्यवस्था में रहने के लिए बाध्य नहीं हैं।

अनुच्छेद 22.1

निर्वाह/रहने की व्यवस्था या निवास के स्थान की असावधानी किसी भी विकलांग व्यक्ति को अपने या अपनी निजता, परिवार सहित या पत्राचार अथवा अन्य प्रकार के संचार या उसकी या उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर गैर-कानूनी हमले से मनमाने या अवैधानिक हस्तक्षेप के लिए विवश/अधीन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के हमलों या दखलंदाजी के खिलाफ विकलांग व्यक्तियों को संरक्षण का विधिक अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 28.1

राज्य/राष्ट्र पक्षों ने निर्वाह की परिस्थितियों के सतत सशक्तीकरण के लिए और समुचित भोजन, आवास तथा वस्त्रों सहित उनके परिवारों या स्वयं उनके लिए, जीवन निर्वाह के समुचित मानकों हेतु विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता दी है। विकलांगता के आधार पर भेदभाव रहित होकर इस अधिकार के क्रियान्वयन के संवर्धन और बचाव के लिए समुचित कदम उठाये जाएंगे।

अनुच्छेद 28.2 (डी)

राज्य/राष्ट्र पक्ष(क्षों) विकलांगता के आधार पर भेदभाव रहित होकर सामाजिक संरक्षण और इस अधिकार के पूर्ण उपभोग हेतु शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के इस अधिकार को मान्यता देते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न करारों, घोषणाओं, दिशा-निर्देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के परिणामस्वरूप तैयार दस्तावेजों में भी ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो कि संपत्ति और भूमि, समुचित आवास मे मानवाधिकारों का संरक्षण करते हैं, जिनमें निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित हैं:-

- बागान मजदूरों के हालात के बाबत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) संधिपत्र क्रमांक 110, (1958);
- बाल अधिकारों पर घोषणापत्र (1959);
- कामगारों के आवास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सुझाव क्रमांक 115, (1961);
- सामाजिक नीति के मानकों और मूल उद्देश्यों के बाबत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन क्रमांक 117, (1962);
- सामाजिक प्रगति एवं विकास पर उद्घोषणा (1969);
- मानव अवस्थापन पर बैंकूवर घोषणापत्र (1976);
- पेशेवर स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन संख्या 161, (1985);
- विकास के लिए अधिकार पर घोषणापत्र (1986);
- स्वतंत्र संप्रभुत्व देशों में मूल निवासियों और जनजातीय जनसमुदाय से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन क्रमांक 169, (1989);
- विकास एवं पर्यावरण पर रियो घोषणापत्र तथा लक्षित कार्यक्रम (एजेण्डा) 21, (1992);
- वियना घोषणापत्र और अभियान का कार्यक्रम (1993);
- बीजिंग घोषणापत्र तथा कार्यान्वयन हेतु मंच (1995);
- मानव अवस्थापन पर इस्तांबूल घोषणापत्र (1996);
- आंतरिक विस्थापन पर मार्गदर्शक सिद्धांत (1998);
- दीर्घकालिक विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन के क्रियान्वयन की योजना और

जोहांसबर्ग घोषणापत्र (2002);

- विस्थापितों तथा शरणार्थियों के लिए संपत्ति और आवास की बहाली पर व्यवस्था (2005);
- विस्थापन तथा विकास आधारित बेदखली पर दिशा-निर्देशक तथा मूलभूत सिद्धांत (2007);
- देशज लोगों के अधिकारों पर घोषणापत्र (2007); और
- भविष्य जो हम चाहते हैं - दीर्घकालिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन का निष्कर्षित दस्तावेज (2012);

भारत द्वारा स्वीकार मानवाधिकार संधियों की सूची निम्नलिखित है:-

- नस्लवाद के सभी स्वरूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संधिपत्र 1965 (3 दिसंबर 1968 को भारत द्वारा मंजूर);
- सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार 1966 (भारत द्वारा 10 अप्रैल 1979 को स्वीकार);
- राजनीतिक और नागरिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार 1966 (10 अप्रैल 1979 को स्वीकार);
- बाल अधिकारों पर संधिपत्र 1989 (भारत द्वारा 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार);
- महिलाओं के प्रति सभी स्वरूपों के भेदभाव के उन्मूलन पर संधिपत्र 1979 (9 जुलाई 1993 को अंगीकार);
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधिपत्र 2006 (भारत द्वारा 1 अक्टूबर 2007 को स्वीकार)

अंतर्राष्ट्रीय संधि की अभिपुष्टि द्वारा, भारत सरकार संधि के प्रावधानों से कानूनी रूप से बाध्य है, जिसमें कि देश के भीतर अपनी संपूर्णता में इसे लागू करने का दाायित्व भी शामिल है। अभिपुष्टि की वचनबद्धता के फलस्वरूप भारत सरकार को संधि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र संधि निकाय को निरंतर प्रतिवेदन सौंपना होता है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद-51(सी) राज्यों से यह अपेक्षा करता है कि:-

संगठित लोगों के साथ एक दूसरे से कार्य व्यवहार के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधि के नियमों एवं अनुबंधों का सम्मान करें।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सरकार के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अनुबंधों को बार-बार दोहराया है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्यावहारिकता के महत्व पर विशेष रूप से मानवाधिकारों की रक्षा एवं विश्लेषण के लिए जोर दिया है।

कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य के एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान एवं घरेलू कानून की व्याख्या करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के महत्व को उद्धृत किया है।

24. संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो भी अंतर्राष्ट्रीय करार एवं घोषणाएं जिस स्वरूप में स्वीकार की गयी हैं, उनका सम्मान करना उन सभी राष्ट्रों के लिए आवश्यक है जिन्होंने करार अथवा घोषणापत्रों पर हस्ताक्षर किये हैं, और उन घोषणाओं तथा करारों में उपरोक्त शब्दों के जो मायने दिये गये हैं, वे उन मानवाधिकारों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने में मदद करते हुए प्रतीत हों।

घरेलू कानूनी पेंचों में यदि जरूरी हुआ तो मानवाधिकारों तथा उनमें सन्निहित सिद्धांतों की वैश्विक घोषणा की व्यावहारिका की समीक्षा की जा सकेगी।

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद में अपनी सदस्यता से संबंधित प्रतिवेदन संकल्प (जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को फरवरी 2011 में भेजा गया था) में भी जोर देते हुए कहा है कि:-

4. (...) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय का एक दूरगामी महत्व का निर्णय (1997), जिसमें न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विषयों के प्रावधानों को, जिनमें भारत भी एक पक्ष हो, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार ही माना जाये और यह वस्तुतः सक्षम घरेलू कानून की अनुपस्थिति के बावजूद मान्य हो।

इस तरह भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की उन सभी संधियों/समझौतों के अनुपालन हेतु प्रावधानों द्वारा कानूनन बाध्य है, जिन पर उसने सहमति प्रदान की है।

6

जबरन बेदखली की स्थिति में भारतीय कानून के तहत आपके क्या अधिकार हैं ?

1. भारत का संविधान

भारतीय संविधान स्वतंत्रता, भाईचारा, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर मजबूती से स्थापित है, जबकि आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट नहीं किया गया है। यह संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं निर्देशक सिद्धांतों के बीच उलझा हुआ है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों, जो उपयुक्त आवास के मानवाधिकार के संरक्षण और पूर्ण सुरक्षा से जुड़े हैं, में निम्न अधिकार शामिल हैं-

1) **अनुच्छेद 14** - भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को विधि द्वारा एक समान व्यवहार या कानूनी संरक्षण का अधिकार।

2) **अनुच्छेद 15 (1)** - प्रत्येक नागरिक को लिंग, धर्म, जाति, वर्ण या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार।

3) **अनुच्छेद 16** - प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर का अधिकार।

4) **अनुच्छेद 19 (1) (डी)** - प्रत्येक भारतीय नागरिक को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी भयमुक्त विचरण का अधिकार।

5) **अनुच्छेद 19 (1) (जी)** - प्रत्येक नागरिक को कोई भी पेशा अपनाने, या जीविकोपार्जन के लिए कोई भी कार्य, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार।

6) **अनुच्छेद 19 (1) (इ)** - प्रत्येक नागरिक को भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार।

7) **अनुच्छेद 21** - विधि द्वारा स्थापित कार्य पद्धति के अनुसार जीवन रक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।

संविधान निर्देशक-सिद्धांतों को प्रदत्त करता है, जिसके अनुसार भारतीय राज्य अपनी नीतियों का निर्माण करता है। ये इस प्रकार हैं-

1) **अनुच्छेद 39 (ए)** - पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जीवन निर्वाह के समुचित साधनों पर एक समान अधिकार सुरक्षित करने के लिए राज्य की नीति निर्देशित हो।

2) **अनुच्छेद 42** - राज्य द्वारा काम की न्याय संगत एवं मानवीय स्थितियां सुरक्षित करने तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान किये जाएं।

3) **अनुच्छेद 47** - पोषण का स्तर व जीवन स्तर उठाने तथा जन स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य।

2. राष्ट्रीय नीतियां

अनेक राष्ट्रीय नीतियां भी सरकार द्वारा उन्नत घर एवं आवास उपलब्ध कराना आवश्यक मानती हैं।

क) राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007

भारत की राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007, की मुख्य भावना इस प्रकार है-

समाज के उपेक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं शहरी गरीबों को विशेष महत्व देकर 'सभी के लिए सस्ते आवास का प्रावधान'।[1] यह नीति सस्ती दरों पर भूमि, आवास एवं सेवाएं सुनिश्चित कराने का प्रयास करती है। यह शहरी निर्धन लोगों को उनके निवास स्थल अथवा कार्य स्थल के आसपास ही आवास मुहैया कराने को प्राथमिकता देती है और पुनर्स्थापन स्थल तक आसान पहुंच को भी स्वीकारती है। महिलाओं के मामले में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर उन्हें सम्मिलित किये जाने, आवासीय नीतियों एवं कार्ययोजनाओं के प्रतिपादन व क्रियान्वयन में उनकी सुनिश्चित सहभागिता का प्रावधान करती है। यह नीति मूलभूत सुविधाओं से युक्त आवासीय मामलों में महिला संचालित घरों, एकाकी महिलाओं, कामकाजी महिलाओं, कठिन आवासीय स्थियों में रह रही महिलाओं की विशेष जरूरतों पर भी जोर देती है।[2]

ख) राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007

यह नीति भूमि के मालिक तथा अन्य जैसे किरायेदार, भूमिहीन, कृषि एवं गैर कृषि मजदूर, दस्तकार व अन्य ऐसे लोगों के हितों का संरक्षण करती है जिनकी आजीविका उस भूमि पर निर्भर है जो भूमि विकासपरक गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा नियत कर ली गयी है।[3] प्रभावित परिवारों को जो लाभ प्रदान किये जाते हैं उनमें भूमि के बदले भूमि, प्रभावित

---

1. राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007, शहरी निर्धनों को विशेष महत्व के साथ 'सभी के लिए सस्ते आवास' का लक्ष्य निर्धारित, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, 11 अक्टूबर 2007 उपलब्ध
वेबसाइटः http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=33884

2. राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार।
वेबसाइटः http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy2007.pdf

3. पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति तथा भूमि अधिग्रहण विषयक विधिक मानक, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, 12 अक्टूबर 2007, वेबसाइटः http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=31832

परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार, बेहतरी के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल वृद्धि, प्रभावित परिवारों के योग्य व्यक्तियों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधाएं जिनमें प्रभावित भूमिहीन परिवारों को घर दिया जाना शामिल है।[4]

ग) राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति का दस्तावेज, 2001

भारत के लिए अभी तक कोई आधिकारिक मलिन बस्ती नीति नहीं है, सिर्फ एक रूपरेखा अस्तित्व में है, जिसमें पुनर्वास से संबंधित कुछ प्रावधान निहित हैं। राष्ट्रीय मलिन बस्ती रूपरेखा में शामिल कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं:-

- राज्य/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को लोगों को हटाये जाने लिए कोई भी निर्णय लेने से पूर्व विकल्प तलाशने चाहिए।
- आजीविका कम प्रभावित हो, इसके लिए पुनर्स्थापना के लिए नियत स्थल की दूरी कम होनी चाहिए।
- स्थान विशेष के निवासियों को वैकल्पिक स्थलों और जहां व्यावहारिक हो, स्थल चयन का अधिकार व वैकल्पिक पुनर्वास राशि प्रदान करने का प्रावधान हो।
- सभी पुनर्वास स्थलों के लिए जरूरी सुविधाएं पूर्णतः सुलभ हों तथा बसाने से पूर्व सार्वजनिक यातायात का प्रावधान होना चाहिए।
- प्रभावित लोगों की आजीविका की पूर्णतः क्षतिपूर्ति एक नियत समयावधि के भीतर की जानी चाहिए।
- किसी भी पुनर्वास प्रक्रिया के लिए योजना बनाने एवं निर्णय करने में प्राथमिक दावेदारों विशेषकर महिलाओं की भूमिका आवश्यक होनी चाहिए।
- कोई भी शहरी विकास परियोजना जो समुदायों की इच्छा के विरुद्ध पुनर्वास की ओर बढ़ती है, उस परियोजना को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना मूल्य अदा करने का प्रावधान करना चाहिए।
- स्थल परिवर्तन एवं परेशानी की स्थिति में विशेषकर प्रतिकूल मौसम की अवधि के दौरान दखल का निर्धारित समय घटाया जाना चाहिए।

घ) शहरी रेहड़ी-पटरी एवं फड़ व्यवसायियों पर राष्ट्रीय कानून, 2014

कानून यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी रेहड़ी-पटरी या फड़ व्यवसायी को हटाए

4. राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति, 2007, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 31 अक्टूबर 2007
वेबसाइटः http://www.dgde.gov.in/sites/default/files/acquisition/NRRP2007.pdf

जाने अथवा स्थल परिवर्तन किये जाने से पूर्व उसे उचित सूचना दी जानी चाहिए। कानून स्पष्ट कहता है-

''कोई भी रेहड़ी-पटरी या फड़ व्यवसायी जिसके पास माल बेचने का सर्टिफिकेट है, यदि भविष्य में किसी कारणवश उसे स्थानांतरित किया जाता है तो सेक्शन 18 के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी से विचार-विमर्श कर स्थानीय अथॉरिटी द्वारा निर्धारित नये क्षेत्र में वह माल बेचने या अपनी गतिविधियां चलाने का हकदार है। कोई भी रेहड़ी-पटरी या फड़ व्यवसायी उस स्थान से जो उसके वेंडिंग सर्टिफिकेट में दर्ज है, स्थानांतरित या बाहर नहीं किया जा सकेगा जब तक कि योजना के निर्देशानुसार उसे 30 दिनों का नोटिस नहीं दिया जाये।''[5]

3. अदालती फैसले

क) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में व्यवस्था प्रदान की है कि उपयुक्त आवास का अधिकार एक मौलिक मानवाधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद-21 द्वारा निर्धारित 'जीने का अधिकार' से संरक्षित है। ('कोई भी व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित कार्यव्यवहार के अनुसार अन्यथा अपने जीवन अथवा निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा'।) ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण अदालती फैसले आये हैं जिनमें 'आश्रय का अधिकार' व 'जीने का अधिकार' के मध्य स्पष्ट संबंध माना गया है, जैसा कि अनुच्छेद-21 में आश्वस्त किया गया है।[6]

---

5. द स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) एक्ट, 2014, पैरा 13 और 14(3). विस्तृत जानकारी के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें:- http://mhupa.gov.in/writereaddata/street_vendor_act_2014(English).pdf

6. *उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद बनाम फ्रैंड्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि., चमेली सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार* [(1996) 2 एससीसी 549 132], *फ्रांसिस कोराली बनाम यूनियन टेरिटरी दिल्ली* (एआईआर 1981 एससी 746, 753), *शांति स्टार बिल्डर बनाम नारायन खीमा लाल टोटमी* [(1990) 1 एससीसी 520], *ओल्गा तेलीज बनाम बॉम्बे नगर निगम* [(1985) 3 एससीसी 545], *मधु किश्वर बनाम बिहार सरकार* [(1996) 5 एससीसी 125], *भारत की ग्रामोफोन कंपनी बनाम बी बी पांडे* [1984 (2) एससीसी 534], *पीयूसीएल बनाम भारतीय संघ* [1997 (3) एससीसी 433], *सीईआरसी बनाम भारतीय संघ* [(1995) (3) एससीसी 42]

चमेली सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1966) के एक वाद में अदालत ने 'जीने का अधिकार' पर स्पष्ट राय व्यक्त की है[7]:-

''किसी भी सभ्य समाज में पूर्णरूपेण प्रदत्त 'जीने का अधिकार' के अंतर्गत भोजन, पानी, सुखद पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आश्रय के अधिकार सन्निहित हैं। ये सभी किसी भी सभ्य समाज में मान्य मूलभूत मानवाधिकार हैं। सभी तरह के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में एवं सम्मेलनों में प्रतिष्ठापित हैं। अन्यथा भारतीय संविधान के अंतर्गत इन सभी मूलभूत अधिकारों के बिना 'जीने का अधिकार' पर अमल नहीं हो सकेगा।''

'आश्रय एवं उपयुक्त आवास' के अधिकार को भी अदालत का निर्णय स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह इस प्रकार है:-

''मनुष्य के लिए आश्रय अन्ततोगत्वा उसके जान-माल का संरक्षण मात्र नहीं है। यह एक घर होता है, जहां उसके पास शारीरिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के अवसर सुलभ होते हैं। इस तरह आश्रय के अधिकार में- रहने का पर्याप्त स्थान, सुरक्षित एवं सुन्दर बनावट, स्वच्छ व सुखद परिवेश, समुचित प्रकाश, शुद्ध हवा तथा पानी, बिजली, सफाई तथा अन्यान्य नागरिक सुविधाएं जैसे सड़कें इत्यादि सम्मिलित हैं, ताकि उसकी अपने दैनिक पेशे तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार 'आश्रय का अधिकार' से अभिप्राय किसी को सिर के ऊपर मात्र एक छत पाने तक सीमित नहीं है, अपितु सभी तरह की बुनियादी संरचना से है जो उन्हें मनुष्य की तरह जीने व विकास करने के लिए समर्थ बनाने में जरूरी हों।''

ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय[8]

सुदामा सिंह व अन्य बनाम दिल्ली सरकार व अन्य (2010)[9] के एक वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि बेदखल समुदायों का पुनर्वास एवं उनके

---

7. *चमेली सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार* [(1996) 2 एससीसी 549]

8. हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (एचएलआरएन) द्वारा प्रकाशित दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों की कॉमेंट्री, फरवरी 2013

9. *सुदामा सिंह व अन्य बनाम दिल्ली सरकार व अन्य*, रिट याचिका (सी नं. 8904/2009, 7735/2007, 7317/2009 एवं 9246/2009, दिल्ली उच्च न्यायालय, 11 फरवरी 2010

मानवाधिकारों का संरक्षण करना राज्य का दायित्व है।

23. याचिकाकर्ताओं को पुनर्स्थापना के लाभ की मनाही, उनको संविधान के अनुच्छेद-21 के अंतर्गत प्राप्त आश्रय के अधिकार का उल्लंघन है। इन परिस्थितियों में उनकी झुग्गियों का पुनर्स्थापन सुनिश्चित किये बिना हटा देने से उनके मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन में वृद्धि होगी।

44.(...) जब किसी भूमि पर बसे हुए मलिन बस्ती वासी वहां से खदेड़े जाने की धमकी का सामना करते हैं तो ऐसी स्थिति में निष्पक्षता के साथ उस पर विचार करने की विशेष आवश्यकता है, भले ही उनके झुग्गियों के समूह को कानूनन सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए हटाये जाने की जरूरत ही क्यों न हो। क्योंकि ऐसी स्थिति में इसके परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं विशेषकर जब दशकों पूर्व से बसे लोग अपने घरों से खदेड़ दिये जाते हैं। इन स्थितियों में आमतौर पर जो अनदेखी होती है वह यह कि एक परिवार को बलपूर्वक बेदखल किये जाने पर परिवार का हरेक सदस्य थोक के भाव अपने अधिकारों को गंवा देता है, यानी आजीविका का अधिकार, आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार, नागरिक तथा सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का अधिकार और कुल मिलाकर सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार।

57. यह अदालत संज्ञान लेना चाहेगी कि दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) के संदर्भ, झुग्गी में बसने वालों के साथ दोयम दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार नहीं करते, वे अन्य नागरिकों की ही भांति जीने के लिए आवश्यक मूलभूत जरूरतों की पहुंच में कमतर हैसियत नहीं रखते। यदि झुग्गी निवासी को जबर्दस्ती बेदखल कर दिया गया है, अन्यत्र हटा दिया गया है तो यह सुनिश्चित करना राज्य की संवैधानिक व कानूनी बाध्यता है कि प्रभावित झुग्गी निवासी बदतर हालात में नहीं है। पुनर्स्थापन सार्थक होने के साथ-साथ झुग्गी वासी के अधिकारों (जीने का अधिकार, आजीविका एवं सम्मान का अधिकार) के साथ सामन्जस्यपूर्ण हो।

पी के कौल बनाम इस्टेट अधिकारी व अन्य (2010)[10] में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है:-

40. (...) प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने का अधिकार भारत के संविधान में निहित अनुच्छेद 19 (1) (ई) के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में प्रदत्त है। आश्रय का अधिकार इसी अधिकार से अनुप्रेरित है तथा भारत के संविधान में निहित अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीने का अधिकार' की सार्थकता के लिए एक अभिन्न अंग की तरह मान्य है।

10. *पी. के. कौल बनाम इस्टेट ऑफिसर एवं अन्य*, रिट पिटीशन (सी) नं. 15239/2004 एवं सीएम नं. 11011/2004, दिल्ली हाई कोर्ट, 30 नवंबर 2010

7

जबरन बेदखली की स्थिति में दिल्ली कानून के तहत आपके क्या अधिकार हैं ?

दिल्ली राज्य में अनेक कानून हैं जो बेदखली, घरों को ढहाये जाने एवं भूमि अधिग्रहण की स्थितियों में नागरिक अधिकारों से सम्बन्धित मामलों को अपनी परिधि में लेते हैं। ये इस प्रकार हैं:-

1. दिल्ली का मास्टर प्लान 2021

मास्टर प्लान में मलिन व झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के लिए पुनर्स्थापन/पुनर्वास के अनेक प्राविधान किये गये हैं।

- पुनर्वास चाहे वह स्थलीय सुधार अथवा स्थलीय परिवर्तन के रूप में हो, मुख्यतः सुगम स्थलीय सुविधायुक्त लगभग 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवास निर्माण पर आधारित हो अन्यथा समतल भूखण्ड विकास के नक्शे पर आधारित हो [(4.2.3.1) (1)]

- व्यापक सुरक्षा के साथ एक सहकारी पुनर्वास का नमूना अपनाया जा सकता है जिसमें सहकारी संस्थाओं के लिए विधिक संस्थान द्वारा नियत भूखण्ड उपयोग अवधि के अधिकारों का प्रावधान हो। [(4.2.3.1)(4)]

- पुनर्वास की स्थिति में स्थलों के चयन में यह ध्यान रहे कि झुग्गियों के छोटे समूह इस तरह से विकसित हों ताकि उन्हें उस क्षेत्र के समग्र नियोजित विकास से जोड़ा जा सके। खासतौर से आस-पास में रोजगार के साधनों की उपलब्धता का ध्यान रखा जाये। बहुत बड़े आकार के पुनर्वास स्थल, नियोजित मलिन बस्ती की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। [(4.2.3.1)(6)]

- जिन परिवारों का पुनर्वास होना है उनके अस्थाई आवास की उचित व्यवस्था बनायी जानी चाहिए। जहां तक हो सके यह पास में या चयनित स्थल पर ही हो तथा स्थल सुधार योजना के क्रियान्वयन के चरणों के साथ-साथ ही ये अस्थाई आवास उपयोग में लाये जा सकें। [(4.2.3.1)(7)]

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम (डीडीए), 1957

किसी भवन को ध्वस्त किये जाने की स्थिति में भवन स्वामी अथवा संबंधित व्यक्ति के पास 'कारण बताओ' का एक तार्किक अवसर होता है – क्यों न ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाए। [(धारा 35)(2)]

3. सार्वजनिक स्थल (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1971

सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस दिया जाना चाहिए, जिसे कब्जेदारों के घरों के बाहरी दरवाजे पर अथवा सार्वजनिक स्थलों के ऐसे भागों पर जो आसानी से दिखायी पड़े, चिपकाया जाये। नोटिस संबंधित व्यक्तियों को 'कारण बताओ' का एक अधिकार देता है – क्यों न उन्हें बेदखल किया जाए। (धारा 4)

4. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अधिनियम, 1957

दिल्ली नगर निगम को चाहिए कि वह समय-समय पर पुराने घरों का निर्माण व मरम्मत करे, बाल गृह, मूक-बधिर, असहाय व विकलांग बच्चों के लिए घर, लाचार तथा असहाय लोगों के लिए आश्रय का निर्माण करे तथा किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों अथवा किसी भी वर्ग के निवासियों के लिए आवास सुविधाएं मुहैया कराये। (धारा 43)

5. मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार एवं निकासी) अधिनियम, 1956

प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर ली गयी किसी भी भूमि में कोई भी हित निहित हो उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। (धारा 14)

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) की नीतियां

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थापित करने के लिए वर्ष 2010 में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम पास किया गया। इस सुधार बोर्ड के कार्यों में कुछ कार्य राजधानी क्षेत्र की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास एवं सुधार के लिए सर्वे तथा योजनाएं बनाना है। तीन फरवरी 2011 को दिल्ली सरकार ने झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे लोगों के लिए पुनर्स्थापना, पुनर्वास तथा फ्लैट आवंटन को लेकर नीति-निर्देश जारी किये। मलिन बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए तथा उन्हें सरकार द्वारा बनाये गये नये फ्लैट आवंटन करने की पात्रता निश्चित करने की आखिरी तारीख बदलकर 31 मार्च 2007 कर दी गयी। पात्रता की सम्भावना को विस्तार देने के प्रयास के तहत दिल्ली सरकार ने 25 फरवरी 2013 को अपनी नीति में संशोधन किया और झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये। नये दिशा-निर्देशों के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार हैं:-

- झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति उस झुग्गी में 1 जनवरी 2015 को या उससे पूर्व रह रहा हो।
- पात्र आवंटियों का सर्वे आयोजित करने के लिए झुग्गी-झोपड़ी समूहों में आसानी से नजर आने वाले स्थानों पर कम से कम चार सप्ताह पूर्व इस आशय की सूचना चिपकायी जाए। लाउड स्पीकरों तथा ढोल बजाकर भी ऐसी सूचना का सक्रिय एवं व्यापक प्रचार किया जाए।
- सर्वे टीम यह सुनिश्चित करे कि सर्वे सूची में न सिर्फ झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे व्यक्ति का नाम बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के नाम भी सम्मिलित किये गये हों।
- उक्त दिशा-निर्देश प्रारंभ में निम्नलिखित आठ समूहों में लागू हो पाएंगे:-
    - क) सीमेंट गोदाम, मोती बाग/नेताजी नगर
    - ख) जी-प्वाइंट, गोल मार्केट
    - ग) पॉकेट-6, धोबी घाट के पास डीडीयू मार्ग
    - घ) बंगाली कैंप, किदवई नगर
    - ड.) मंदिर गली, जी-एफ ब्लॉक, करमपुरा
    - च) शिव कैंप, सफदरजंग हवाई अड्डे के पास
    - छ) झुग्गी समूह, भारती नगर के समीप (खान मार्केट)
    - ज) अर्जुनदास कैंप, पूर्वी किदवई नगर

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का विस्तार अन्य झुग्गी-झोपड़ी समूहों तक भी किया जा सकता है।

8

बेदखली के मामले में अंतर्राष्ट्रीय दिशा–निर्देश व मानक क्या हैं, जिनका अनुपालन आवश्यक है?

अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय कानूनों एवं नीतियों के अतिरिक्त मानवाधिकार से संबंधित अनेक विशिष्ट मानकों व दिशा-निर्देशों को भी व्यवहार में अपनाये जाने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावित आबादी के अधिकार सुरक्षित हैं। बेदखली एवं विस्थापन पर आधारित विकास की सोच को लेकर संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल सिद्धांत व दिशा-निर्देश सदस्य राज्यों व गैर सदस्य राज्यों के लिए विस्तृत चरण निर्धारित करते हैं, जिनका असामान्य परिस्थितियों में घटित होने वाली बेदखली की स्थिति में अनुपालन आवश्यक है।[1]

बेदखली एवं विस्थापन पर आधारित विकास को लेकर 'उपयुक्त आवास' के संबंध में निर्धारित संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल सिद्धांत व दिशा-निर्देश (2007)[2] संयुक्त राष्ट्रसंघ के ही विशेष प्रतिवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये तथा उन पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की मानवाधिकार परिषद ने भी अपनी सहमति प्रदान की है।

इन दिशा-निर्देशों में अनेक उपयोगी प्रावधान सम्मिलित हैं जो मानवाधिकारों की सुरक्षा पर केन्द्रित हैं। ये दिशा-निर्देश मुख्य रूप से:-

- बेदखली व विस्थापन की संभावनाओं को विकल्पों के जरिये कम करने का प्रयास करते हैं।
- विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि असामान्य परिस्थितियों में बेदखली की कार्यवाही सिर्फ स्वास्थ्य सुरक्षा तथा लोगों की व्यापक भलाई को देखकर ही की जा सकती है।
- असामान्य परिस्थितियों में बेदखली की स्थिति में कार्य संचालन की पद्धति निर्धारित करते हैं जिनका सदस्य राज्यों तथा गैर सदस्य राज्यों दोनों के द्वारा बेदखली की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अर्थात बेदखली की प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के दौरान एवं प्रक्रिया के बाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अनुपालन हो सके।

संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश व्यक्त करते हैं कि असामान्य परिस्थितियों में बेदखली केवल जन कल्याण को ध्यान में रखकर ही की जा सकती है। ऐसी सभी कार्यवाहियां कानून द्वारा अधिकृत हों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप क्रियान्वित हों, तार्किक

---

1. संयुक्त राष्ट्रसंघ के दिशा-निर्देशों को भारतीय भाषाओं हिंदी, तेलुगू, बंगाली और उड़िया में देखने के लिए इस वेबसाइट का अवलोकन करें:

http://www.hic-sarp.org / hinditranslation.html.

2. उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेष प्रतिवेदक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, ए/एचआर सी/4/18 फरवरी 2007 http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_en.pdf. Translations in other languages available at: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx and www.hic-sarp.org.

व आनुपातिक हों तथा इनमें पूरा-पूरा व न्याय संगत मुआवजे के साथ ही पुनर्स्थापन सुनिश्चित हो।[3]

1. बेदखली से पूर्व (पैराग्राफ 37-44)

बेदखली से पूर्व सरकार के लिए निम्नलिखित मानकों का पालन आवश्यक है:-

क) बेदखली के निर्णय तथा मौजूद वैकल्पिक प्रस्तावों पर कानूनी चुनौती का अवसर दिये जाने के लिए प्रभावित लोगों के साथ प्रभावपूर्ण परामर्श करना अथवा आम सुनवाइयां आयोजित करना।

ख) प्रस्तावित बेदखली से विकास व प्रयोग की संभावना से पूर्ण वास्तविक मूल्य और नुकसान (सामग्री, वस्तु व अन्य) अनुमान का निर्धारण करने के लिए 'बेदखली असर आकलन' का पालन करना।[4]

ग) खाली कराये जाने वाले स्थल का सर्वेक्षण करना, जो विशेषकर प्रभावित लोगों व अत्यधिक उपेक्षित समूहों की पहचान करने के लिए आवश्यक है।

घ) वास्तविक रूप में प्रभावित सभी लोगों को लिखित में तथा स्थानीय भाषा में बेदखली की सही तिथि के नोटिस जारी किये जाएं जिनमें बेदखली के निर्णय तथा पुनर्वास की योजनाओं के संबंध में विस्तार से स्पष्टीकरण शामिल हो।

ड.) प्रभावित लोगों को उनके अधिकारों तथा विकल्पों के लिए कानूनी, तकनीकी एवं अन्य सलाह की सुविधा मुहैया कराना। जरूरत पड़ने पर उन प्रभावितों को मुफ्त कानूनी मदद प्रदान करना।

च) प्रभावित समुदाय को पुनर्वास स्थल में बसाने से पूर्व उस स्थल को 'उपयुक्त आवास की व्यवस्था' को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप तैयार करना।

2. बेदखली के दौरान (पैराग्राफ 45-51)

बेदखली की कार्यवाही के दौरान सरकार (एवं कार्यवाही में सम्मिलित सभी सरकारी

---

3. इस वेबसाइट का अवलोकन करें:
http://direitoamoradia.org/wp-content/uploads/2012/01/guide_forced_eviction_english_pgs_duplas.pdf

4. 'इविक्शन इम्पैक्ट एसेसमेंट टूल' के बारे में अधिक जानकारी के लिए हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क, दिल्ली के फोन नंबर 011-2435-8492 पर संपर्क करें या इस आईडी पर मेल करें: info@hic-sarp.org
सैक्शन 11 (3) का भी अवलोकन कर सकते हैं।

संस्थाओं) को चाहिए:-

क) बेदखली वाले स्थल पर सरकारी अधिकारियों/जन प्रतिनिधियों एवं/अथवा तटस्थ पर्यवेक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

ख) यह सुनश्चित करना कि असामान्य मौसम की स्थितियों में, रात्रि के समय में, धार्मिक अवकाश एवं उत्सवों के दौरान, विद्यालयी परीक्षाओं से पूर्व या परीक्षाओं के दौरान बेदखली की कार्यवाही न हो।

ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव व हिंसा न हो तथा बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें।

घ) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति हमलों व हिंसा का शिकार न हो अथवा मनमाने ढंग से संपत्ति व अन्य चीजों से वंचित न हो।

ड.) बल का कानूनी प्रयोग करते समय आवश्यकता एवं समानता के सिद्धांत का सम्मान किया जाए।

च) बेदखली से प्रभावित लोगों को उनके घरों तक छोड़ने के लिए एवं पुनर्वास स्थल तक ले जाने में सहायता करना।

3. बेदखली के बाद (पैराग्राफ 52-58)

बेदखली के बाद सरकार (कार्यवाही में शामिल सभी सरकारी पक्ष) के लिए निम्न कार्य करने आवश्यक हैं:-

क) यथाशीघ्र न्यायसंगत मुआवजा तथा समुचित वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराना।

ख) यह सुनिश्चित करना कि बेदखली के कारण किसी एक बड़े परिवार के सदस्य अथवा किसी समुदाय के सदस्य एक दूसरे से अलग न किये गये हों।

ग) यह सुनिश्चित करना कि सभी योजनाओं की प्रक्रियाओं में एवं मूलभूत सेवाओं व आपूर्ति के वितरण में महिलाओं की समान भागीदारी हो।

घ) सभी बेदखल लोगों की समुचित चिकित्सीय देखभाल व मनोवैज्ञानिक सहायता की जाए। महिलाओं और बच्चों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

ड.) यह सुनिश्चित करना कि चयनित किया गया पुनर्वास स्थल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के अनुरूप 'उपयुक्त आवास' के मानकों को पूरा करता है।

च) यह सुनिश्चित करना कि महिलाएं, बच्चे, असहाय लोग तथा अन्य उपेक्षित समूह समान रूप से संरक्षित हैं तथा उनके स्वामित्व के अधिकार सुरक्षित हैं।

बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश

संयुक्त राष्ट्रसंघ के दिशा-निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि-

1. बच्चों के मानवाधिकार पूर्णतः सुरक्षित हैं।
2. उपयुक्त आवास के लिए बच्चों के अधिकारों का हनन न होने पाये और जबरन बेदखली में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
3. 'बेदखली प्रभाव आकलन' के समय जबरन बेदखली से बच्चों पर पड़ने वाले असंगत प्रभावों का ध्यान रखा जाए।
4. इस बात पर बल देते हैं कि बेदखली की कार्यवाहियों के दौरान बच्चों पर किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई औचित्य नहीं है।
5. यह स्पष्ट करते हैं कि जबरन बेदखली की कार्यवाहियां स्कूली परीक्षाओं के दौरान अथवा परीक्षाओं से पूर्व नहीं की जा सकतीं।
6. लाभ से वंचित समूहों जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, को घर तथा भूमि आवंटन में प्राथमिकता देना आवश्यक है।
7. यह स्पष्ट करते हैं कि बेदखली के बाद तुरंत राहत एवं पुनर्वास के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा तथा बाल सुरक्षा जैसी सुविधाओं का प्रावधान जरूर शामिल किया जाए।
8. पुनर्वास स्थलों के दायरे में विद्यालयों तथा बाल सुरक्षा केन्द्रों को शामिल करना आवश्यक है।
9. बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी अधिकार सुरक्षित रहें। इसके लिए बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश

संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि-

1. महिलाओं को उपयुक्त आवास एवं उसके उपयोग की समय-सीमा की सुरक्षा को लेकर मानवाधिकार के एक समान लाभ प्राप्त हैं। (सभी महिलाओं को घर एवं भूमि पर स्वामित्व का अधिकार मिलना चाहिए।)
2. महिलाओं को जबरन बेदखली से सुरक्षा का समान अधिकार प्राप्त है।
3. 'बेदखली असर आकलन' जैसे कार्यक्रम महिलाओं पर बेदखली के असंगत प्रभावों को निर्धारित करते हैं।
4. बेदखली के दौरान महिलाएं किसी भी प्रकार की हिंसा एवं भेद-भाव का विषय नहीं हैं।
5. महिलाएं हर तरह के मुआवजे की एकमुश्त धनराशि में पुरुषों के साथ संयुक्त रूप से लाभार्थी हैं।
6. महिलाओं को सभी प्रकार की योजनाओं तथा निर्णय प्रक्रियाओं में समान रूप से भाग लेने और प्रभावपूर्ण बात रखने का हक है, ताकि घरेलू, सामुदायिक, संस्थागत, प्रशासनिक, कानूनी तथा अन्य लिंग आधारित पूर्वाग्रहों को नियंत्रित किया जा सके।
7. महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अधिकार सुरक्षित किये गये हैं, अर्थात महिलाओं को प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सुरक्षा तथा यौन उत्पीड़न व अन्य किसी भी शोषण का शिकार होने की स्थिति में महिला स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वालों तथा संबंधित सभी सेवाओं तक सीधे पहुंच बनाने का अधिकार है।
8. अकेली रहने वाली महिलाएं तथा विधवाएं अपने स्वयं के मुआवजे हेतु अधिकृत हैं।
9. महिलाओं के अधिकारों, खासतौर से आवास तथा भूमि से संबंधित महिलाओं की चिंताओं एवं जरूरतों पर विशेष जोर देते हुए समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाएं।

9

जबरन बेदखली की स्थिति में आपके लिए कौन से समाधान उपलब्ध हैं ?

अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार बेदखली के अधीन आये सभी लोगों को यथासमय एवं यथोचित सुविधाएं/समाधान पाने का अधिकार है, जैसे कानूनी सलाहकार तक पहुंच, मुफ्त कानूनी सहायता, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के उपरोक्त दिशा-निर्देश 'समाधान के अधिकार' को भी संरक्षित करते हैं। इसमें निम्न बातें शामिल हैं:-

1. उचित व त्वरित मुआवजा

यह निम्न स्थितियों के लिए मुहैया करायी जाती है-

- कोई भी ऐसी क्षति जैसे जीवन की हानि, शारीरिक या मानसिक क्षति, रोजगार व शिक्षा के अवसर खोलना एवं सामान आदि की क्षति (जो आर्थिक निर्धारण के योग्य हो) होने पर।
- भूमि की गुणवत्ता, आकार और मुआवजा मूल्य के रूप में अनुरूप भूमि के साथ भूमि की जब्ती होने पर।
- सभी लोगों के सामान की टूटफूट व संपत्ति के नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति दी जाए, चाहे वे इसकी पात्रता रखते हों अथवा नहीं।
- महिला और पुरुष दोनों के समान रूप से मुआवजा राशि में सह-लाभार्थी होने की स्थिति में।
- बेदखली के दौरान अथवा बेदखली के बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन के फलस्वरूप सभी तरह के नुकसान एवं टूटफूट होने पर।

2. मुआवजा एवं बहाली

- यदि स्थितियां बनती हैं तो सरकार को चाहिए कि उन व्यक्तियों, वर्गों, समुदायों को पुनर्बहाली में प्राथमिकता दी जाए जिन्हें जबरन बेदखल कर दिया गया था।
- यदि समुदाय एवं परिवार पुनर्बहाली नहीं चाहते हैं तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें विवश न किया जाए।

- यदि बहाली संभव हो तो सरकार स्थितियां तय करेगी तथा व्यक्तियों व समुदायों के लिए सुरक्षा व सम्मान के साथ वापसी के लिए संसाधन उपलब्ध करायेगी।
- अपने मूल आवास स्थलों पर वापसी करने वाले उन सभी लोगों के एकीकरण के लिए सरकारी संस्थाएं सुविधाएं मुहैया करायेंगी तथा वापसी प्रक्रिया की व्यवस्था एवं योजनाएं बनाने में सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगी।
- बेदखली के कारण जिन लोगों की संपत्ति व सामान छूट गया हो अथवा खो गया हो उसको ढूंढने अथवा खोजने में सक्षम सरकारी संस्थाओं को सहायता करनी चाहिए। यदि यह संभव न हो तो मुआवजा व अन्य मदद उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

3. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

- पुनर्स्थापन के अंतर्गत महिलाओं, उपेक्षित लोगों एवं असहाय समूहों के लिए समान मानवाधिकारों के उपयोग संबंधी कार्यक्रम शामिल किये जाने चाहिए।
- पुनर्वास स्थल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत 'उपयुक्त आवास' के मानक को पूरा करे।
- नये आवास जहां तक संभव हो प्रभावितों के मूल निवास तथा उनकी आजीविका के साधनों के आसपास स्थापित होने चाहिए।
- पुनर्वास स्थल पर्यावरणीय रूप से प्रतिबंधित क्षेत्रों, दूषित भूमि और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्थानों के नजदीक स्थापित न हों।
- पुनर्वास प्रक्रिया न्यायसंगत एवं एक समान होनी चाहिए तथा पुनर्वास स्थल एक उपेक्षित क्षेत्र व वीरान बस्ती के रूप में आकार न ले।
- बेदखल की गयी आबादी के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो तथा पुनर्वास के कारण नये स्थल में रह रही आबादी के लिए जीने की स्थितियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

10

जबरन बेदखली को रुकवाने/ विरोध अथवा न्याय पाने के लिए उठाये जा सकने वाले कदम

1. याचिका/जनहित वाद (पीआईएल) दायर करना

जनहित वाद (पीआईएल) एक ऐसी याचिका है जो समाज के किसी भी सदस्य द्वारा जनहित के किसी भी मामले के लिए, जनहित को हुए किसी भी नुकसान के लिए दायर की जा सकती है। जबरन बेदखली से संबंधित मामलों में कोई भी प्रभावित व्यक्ति किसी वकील के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय अथवा निचली अदालत में बेदखली से हुए नुकसान के लिए जनहित याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

जनहित याचिका किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कानूनी समाधान पाने के लिए दायर की जा सकती है। भारत के संविधान के अनुसार यह याचिका अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में या अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।

जनहित याचिका/जनहित वाद दायर करने के लिए जरूरी कदम

1. अपना वाद दायर करने के लिए किसी जनहित मामलों से संबंधित वकील अथवा संगठन (जैसे ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क) से संपर्क करें।
2. जरूरी साक्ष्य एकत्रित करें, जैसे पात्रता का अनुबंध, आवासीय साक्ष्य, पहचान का साक्ष्य, बेदखली के फोटो, नोटिस तथा पुनर्वास नीति (यदि कोई हो) आदि।
3. अदालत जाने वाले सभी पीड़ित पक्षों के नाम व पते आदि की सूची तैयार करें।
4. सभी सरकारी एजेंसियों जहां से कोई भी राहत मिल सकती है, के नाम व पतों की सूची तैयार करें।
5. मानवाधिकारों के उल्लंघन को बढ़ाने वाले तथ्यों की सूची तैयार करें।
6. प्रभावित पक्ष किसी स्थल विशेष में जिस तारीख से रह रहे हैं, जब बेदखली की कार्यवाही हुई, जब उन्हें नोटिस दिया गया, इन सबकी सूची तैयार करें।

2. मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं बेदखली के दस्तावेज

- अपने मोबाइल फोन से ध्वस्तीकरण के फोटोग्राफ खींचें।
- अपने मोबाइल फोन या कैमरे में ध्वस्तीकरण का वीडियो तैयार करें।

- तैयार दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में अदालत में प्रयोग करें तथा मीडिया, सक्षम गैर सरकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेष प्रतिवेदक को भेजें।

3. बेदखली व पुनर्वास से संबंधित सूचना के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अपील दायर करना

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005 के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय, विभाग या अधिकारी से सूचनाएं मांग सकता है। यह अधिनियम सभी नागरिकों को समय से सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम सूचना चाहने वाले नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:-

- अनुमति योग्य सरकारी दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना।
- अनुमति योग्य सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण करना।
- अनुमति योग्य सरकारी कार्यों का निरीक्षण करना व नमूने प्राप्त करना।

सूचना का अधिकार अधिनियम, सार्वजनिक सूचनाएं चाहने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाता है:-

1. चाही गयी सूचना का स्पष्ट उल्लेख करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखें। यह पत्र हस्तलिखित या टाइप किया हुआ हो सकता है तथा ईमेल से भी भेजा सकता है। सूचना चाहने वाले को पत्र लिखने में परेशानी होने पर वह लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से मौखिक रूप से भी प्रार्थना कर सकता है। उक्त अधिकारी संबंधित व्यक्ति की प्रार्थना को लिखने के लिए बाध्य हैं। यह प्रार्थना अंग्रेजी, हिंदी या संबंधित क्षेत्र की कार्यालयी भाषा में की जा सकती है।

2. प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना शुल्क के रूप में दस रुपये का भुगतान करें। यह शुल्क डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में भेजा जा सकता है अथवा संबंधित विभागीय लेखाधिकारी को नकद भी दिया जा सकता है। सूचना चाहने वाले को आगे अन्य शुल्क, जो उसे लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) द्वारा दस्तावेज मुहैया कराने के एवज में निर्धारित किया गया हो, वह भी देना होगा। लेकिन गरीबी रेखा से नीचे आने वाले आवेदक को किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। उसे यह सेवा मुफ्त में दी जाएगी।

3. इस तरह उक्त प्रार्थना पत्र संबंधित सार्वजनिक संस्थान के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करें।

4. चाही गयी सूचना 30 दिन के भीतर प्राप्त न होने पर, अथवा लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न होने की स्थिति में आवेदक अपील दायर कर सकता है।

5. यह अपील किसी भी सादे कागज में मूल प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है।

6. यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी से भी सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं तो आप सूचना आयोग में दूसरी अपील दायर कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए इस वेबसाइट का अवलोकन करें:
http://rti.india.gov.in/ and http://cic.gov.in

सक्षम सरकारी अधिकारियों तथा विभागों से आप निम्नलिखित सूचना मांग सकते हैं:-

- ध्वस्तीकरण की सूचना
- ध्वस्तीकरण का कारण और ध्वस्तीकरण के आदेश की प्रतियां
- पुनर्वास स्थल तथा वैकल्पिक आवास की जानकारी
- पुनर्वास संबंधी नीति

4. बेदखली असर आकलन

हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (एचएलआरएन) ने वर्ष 2007 में 'बेदखली असर आकलन' के रूप में एक साधन विकसित किया जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल दिशा-निर्देशों तथा सिद्धांतों पर आधारित है। विकास आधारित बेदखली एवं विस्थापन संबंधी किसी भी परियोजना की स्वीकृति अथवा उसे अंतिम स्वरूप देने से पूर्व 'बेदखली असर आकलन' का विचार किया जाना चाहिए। ऐसा किया जाना संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल सिद्धांतों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक है। इस नये साधन को बेदखली की कार्यवाही को रोकने में एक मशीनी तकनीक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और जहां पहले ही बेदखली हो चुकी हो वहां यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि न्यायसंगत व समुचित भरपाई, पुनर्स्थापन और मुआवजे का निर्धारण किया जाए। विकसित की गयी यह तकनीक जबरन बेदखली के दौरान हुए संपत्ति के नुकसान (जैसे भूमि, भवन, घरेलू सामान आदि) तथा गैर संपत्ति के नुकसान (जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि)

का मूल्य निर्धारण पर केन्द्रित है। यह नयी तकनीक स्थानीय परिस्थितियों में अपनायी जा सकती है तथा व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों एवं समाज पर बेदखली के वास्तविक प्रभावों का निर्धारण करने में भी प्रयोग में लायी जा सकती है। इस तकनीक के जरिए प्राप्त तथ्यों को सरकार के साथ क्षतिपूर्ति संबंधी विचार-विमर्श तथा अदालत में प्रस्तुत करने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है।

इस नवीन तकनीक पर विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें:
एचएलआरएन, फोन: 011-24358492 / contact@hlrn.org.in

बेदखली असर आकलन, बलजीत नगर, दिल्ली

एचएलआरएन ने अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर बलजीत नगर, दिल्ली (एक ऐसी बस्ती जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च 2011 में ध्वस्त कर दी गयी थी) में दो बार 'बेदखली असर आकलन' का कार्यक्रम आयोजित किया। तथ्यों पर आधारित पहला अध्ययन कार्यक्रम बेदखली (जून 2011) के तीन माह बाद आयोजित किया गया जिसमें ध्वस्तीकरण से हुए सीधे नुकसान के लिए प्रति घर के हिसाब से 60,000-70,000 रुपये के औसत नुकसान का निर्धारण किया गया। ये तथ्य दिल्ली उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किये गये। दूसरा अध्ययन कार्यक्रम बेदखली के एक वर्ष बाद (जुलाई 2012) में आयोजित किया गया जिसमें प्रति घर के हिसाब से औसत नुकसान का निर्धारण विश्लेषण अभी प्रतीक्षारत है।

5. तथ्य खोज (फैक्ट फाइंडिंग)

तथ्य खोज के लिए किसी संस्था/संगठन की सहायता लें जो जबरन बेदखली से संबंधित सही तथ्य, साक्ष्य एवं प्रमाण जुटाने में उपयोगी हो सके। इस मिशन का उद्देश्य अधिकारों के उल्लंघन संबंधी दस्तावेज तैयार करना तथा न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में संस्तुतियां तैयार करना है। इस तथ्य खोज अभियान की रिपोर्ट कानूनी बहस के उद्देश्यों के लिए भी उपयोग में लायी जा सकती है। आप किसी खास बेदखली की घटना पर सूचनाएं एकत्रित करने के लिए तथा नागरिक अधिकारों की जागरूकता के लिए सार्वजनिक सुनवाइयां और जन अदालतों का आयोजन भी कर सकते हैं।

6. सांसदों/विधायकों पर दबाव डालना

व्यापक पैमाने में ध्वस्तीकरण पर हस्तक्षेप के लिए घर छिन जाने के मुद्दों को लेकर सांसदों और विधायकों से मिलकर अपने पक्ष में जनमत खड़ा करें।

7. सविनय अवज्ञा कार्यक्रम आयोजित करना

⇨ जन सुनवाई

जिन लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें कोई तिथि, समय और स्थान निश्चित कर जन सुनवाई का आयोजन करना चाहिए। जन सुनवाई में मानवाधिकारों से संबंधित विषय के जानकार लोगों का एक पैनल बनाया जाना चाहिए जो पीड़ित लोगों की समस्याओं को सुनकर एक निष्कर्ष या राय पर पहुंचेंगे। उस राय को सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाना चाहिए। जन सुनवाई का काफी महत्व होता है और उससे सरकार और उसके नुमाइंदों पर सही पहल के लिए एक दबाव बनता है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित जनता के पक्ष में माहौल खड़ा होता है।

⇨ धरना/रैली

समुदाय तथा सहयोगियों को साथ लेकर जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों के कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन करें। घटनास्थल पर मीडिया को बुलाएं और एक मांगपत्र तैयार करें तथा उसके साथ कानूनों व मानवाधिकारों के उल्लंघन की सूची बनाकर सक्षम सरकारी अधिकारियों को प्रस्तुत करें।

⇨ चक्का जाम

किसी नियत तिथि पर सभी व्यावसायिक वाहनों को किसी विशेष सड़क अथवा सड़कों पर

संचालन न करने की अपील करें अथवा बेदखली व मानवाधिकारों के उल्लंघन पर लोगों को जागरूक करने के लिए तथा अपनी मांगों के समर्थन में किसी स्थान विशेष पर चक्का जाम कर सरकार पर दबाव बनायें।

➪ काला दिवस

सरकारी कार्यवाही पर रोष व्यक्त करने, विरोध दर्ज करने के लिए काले झंडे लहराकर, काली पट्टी, कपड़े और बैज लगाकर काला दिवस मनायें।

8. पत्र लेखन/पोस्ट कार्ड अभियान

- पत्र लेखन अभियान शुरू करने के लिए ऑनलाइन पत्र तैयार करें और उसमें अपने मुद्दों का विवरण लिखकर बड़े पैमाने पर ईमेल सूची द्वारा लोगों को भेजें तथा उनसे अन्य लोगों को प्रोत्साहित व जागरूक करने हेतु भेजने के लिए अनुरोध करें। आप अधिक से अधिक लोगों का हस्ताक्षर युक्त पत्र भी लिख सकते हैं इसके लिए विद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में संपर्क किया जा सकता है।
- उचित प्राधिकरण को अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए पोस्ट कार्ड भेजें। इस तरह का एक अभियान पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के शाहबाद डेयरी स्थित सरकारी

और दिल्ली नगर निगम के स्कूली बच्चों द्वारा चलाया गया जिसमें लगभग 180 प्रतिभागियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को पोस्ट कार्ड भेजकर स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं तथा शिक्षा की गुणवत्ता में कमियों को व्यक्त किया।

चेन्नई में पत्र लेखन अभियान

वर्ष 2009 में चेन्नई की एक मलिन बस्ती में रहने वाले लगभग 300 बच्चों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एम के करुणानिधि को 'प्रिय दादाजी' संबोधित कर एक पत्र भेजा। बच्चों ने उनसे शिक्षा सत्र के बीच में उनके घरों को न ढहाये जाने के लिए प्रार्थना की। इस कार्य के परिणामस्वरूप चेटपेट स्थित अप्पास्वामी गली के मलिन बस्ती निवासियों को उच्च न्यायालय चेन्नई से बेदखली पर रोक लगाने का स्थगन आदेश मिल गया।

11

जबरन बेदखली के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर आप किससे संपर्क कर सकते हैं ?

1. उपयुक्त जिम्मेदार सरकारी अधिकारी

पता करें कि कौन सा विभाग बेदखली के लिये जिम्मेदार था। उस विभाग के उपयुक्त अधिकारी से संपर्क करें। जैसे कि दिल्ली से संबंधित सभी मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रमुख सचिव से संपर्क किया जा सकता है।

- **दिल्ली नगर निगम (एमसीडी)**
  डॉ. एस. पी. एम.
  सिविक सेंटर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली - 100002
  कंट्रोल रूम (सभी शिकायतों के लिए), फोनः (011) 2334-8300/1

- **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी)**
  पालिका केन्द्र बिल्डिंग, अपोजिट जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001
  डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल हाउसिंग (ए. के. मिश्रा)
  म्युनिसिपल हाउसिंग डिपार्टमेंट, फोनः (011) 4150-1634; एक्सटेंशन 2507
  ईमेलः director.municipalhousing@ndmcmail.gov.in

- **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)**
  पुनर्वास भवन, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002
  डायरेक्टर ऑफ हाउसिंग/ जेजेआर/ डेमोलिशन
  फोनः (011) 2337-9632 / 9810200579
  डॉयरेक्टर ऑफ रिहैबिलेशन
  फोनः (011) 2337-9067/9717999258/9968308308/9911373842

- **दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)**
  विकास मीनार, 11वीं मंजिल, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002
  फोनः (011) 2461-7396/2469-0723

- **मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार**
  थर्ड लेवल, ए-विंग, दिल्ली सेक्रेटेरिएट, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002
  फोनः (011) 2339-2020/2339-2030 ईमेलः mailto:cmdelhi@nic.in

- **उप राज्यपाल, दिल्ली**
  6, रफी निवास मार्ग, नई दिल्ली - 110054
  फोनः (011) 2394-5971/2396-5022/2397-8089

- **प्रमुख सचिव, दिल्ली सरकार**
  दिल्ली सेक्रेटरिएट, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली – 110002
  फोनः (011) 2339-2100/2339-2101

2. मानवाधिकार संस्थाएं

- **ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क**
  475, मस्जिद रोड, जंगपुरा, नई दिल्ली – 110014
  फोनः (011) 2437-4501/2437-9855 ईमेलः contact@hrln.org

- **हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (आवास एवं भूमि अधिकार संगठन)**
  जी-18/1, निजामुद्दीन वेस्ट, लोवर ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली-110013
  फोन/फैक्सः (011) 2435-8492 ईमेलः contact@hlrn.org.in

- **इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी**
  28, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
  फोनः (011) 4570-5000 ईमेलः doc@igsss.net

- **नेशनल कैम्पेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स**
  8/1, साउथ पटेल नगर, सेकेन्ड फ्लोर, नई दिल्ली-110008
  फोनः (011) 4566-8341/4503-7897

3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)**
  मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्पलेक्स, आईएनए,
  नई दिल्ली-110023
  फोनः (011) 2338-2509/9810298900
  फोनः jrlawnhrc@nic.in

- **राष्ट्रीय महिला आयोग**
  4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002
  फोनः (011) 2323-7166 ईमेलः ncw@nic.in

- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग**
  5वीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001
  फोनः (011) 2347-8200 ईमेलः ncpcr.india@gmail.com

- **दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग**
  5वीं मंजिल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
  फोनः (011) 2386-2684 ईमेलः dcpcr@hotmail.com

- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग**
  5वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
  फोनः (011) 2461-5583 ईमेलः ro-ncm@nic.in

- **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग**
  त्रिकूट 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
  फोनः (011) 2618-3227

4. मीडिया

- प्रमुख समाचार पत्रों के पत्रकारों को कॉल करें
- बेदखली और तोड़फोड़ की विस्तृत जानकारी के साथ प्रेस रिलीज करने वाले संगठनों से संपर्क करें
- स्थानीय संगठनों के सहयोग से प्रेस कॉन्फ्रैंस करें

अंग्रेजी के समाचार पत्र

1. **टाइम्स ऑफ इंडिया** फोनः (011) 2330-2000
2. **द हिंदू** फोनः (011) 2371-5427
3. **हिंदुस्तान टाइम्स** फोनः (011) 6656-1270
4. **द ट्रिब्यून** फोनः (011) 2331-0045
5. **मिंट** फोनः (011) 6656-1234
6. **डेक्कन हेराल्ड** फोनः (011) 2371-9471
7. **पॉयनियर** फोनः (011) 2375-5271

हिंदी के समाचार पत्र

1. **दैनिक जागरण** फोनः (011) 2335-9960/3041-3400
2. **नई दुनिया** फोनः (011) 2371-9280
3. **नवभारत टाइम्स** फोनः (011) 4350-5340
4. **जनसत्ता** फोनः (011) 2370-2141

समाचार एजेंसियां

1. **प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया** फोनः (011) 2331-3196/2331-6355
2. **इंडो-एशियन न्यूज सर्विस (आईएएनएस)** फोनः (011) 3044-8700/3061-7900

अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियां

1. **एसोशिएटेड प्रेस** फोनः (011) 4366-0404 ईमेलः info@ap.org
2. **बीबीसी हिंदी** फोनः (011) 2340-1600 ईमेलः hindi.letters@bbc.co.uk

टेलीविजन

1. **एनडीटीवी** फोनः (011) 2644-6666
2. **सीएनएन-आईबीएन** फोनः (0120) 434-1818/398-7777
3. **आज तक** फोनः (0120) 480-7100
4. **एबीपी न्यूज** फोनः (0120) 407-0000/407-0196
5. **जी न्यूज** फोनः (0120) 251-1064

5. उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेष प्रतिवेदक (स्पेशल रैपोरटर)

संयुक्त राष्ट्रसंघ के पास पूरी दुनिया में उपयुक्त आवासीय अधिकारों पर काम करने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त होता है। बेदखली से संबंधित सभी तथ्यों के साथ एक विस्तृत पत्र तैयार करें जिसमें ध्वस्तीकरण का समय, ध्वस्तीकरण का तरीका, प्रभावित परिवारों की संख्या, उजाड़े गये घरों की संख्या तथा किसी हिंसा और विनाश को लेकर अंग्रेजी भाषा में विस्तार से उल्लेख करते हुए विशेष प्रतिनिधि के जेनेवा स्थित कार्यालय को प्रेषित करें।

6. संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य प्रावधान

विशिष्ट कार्य प्रणालियों/प्रावधानों के तहत् संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् में प्राधिकार प्राप्त स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ होते हैं जो मानवाधिकारों पर किसी देश विशेष के परिप्रेक्ष्य में या विषयक प्रतिवेदन और राय, उसकी ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपते हैं। विशिष्ट कार्य पद्धति प्रणाली, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार व्यवस्था का केंद्रीय निकाय है और यह नागरिक, सांस्कृतिक आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक आदि सभी मानवाधिकारों को आच्छादित करता है। यह विशिष्ट कार्य पद्धतियां 1 अक्टूबर 2013 से 37 विषयों पर 14 देशों में लागू हैं।

पर्याप्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक के अलावा, मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा बेदखली से दुष्प्रभावित लोगों के (मुद्दों पर आधारित) मामलों में संयुक्त राष्ट्र के कुछ अन्य विशेष प्रतिवेदकों और विशेषज्ञों से संपर्क साधा जा सकता हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

अति विपन्नता एवं मानवाधिकार के लिए विशेष प्रतिवेदक

ई-मेलः srextremepoverty@ohchr.org

भोजन के अधिकार के लिए विशेष प्रतिवेदक

ई-मेलः srfood@ohchr.org

शांतिपूर्ण सम्मेलन तथा संघ की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए विशेष प्रतिवेदक

ई-मेलः freeassembly@ohchr.org

उच्च जीवन शैली एवं शारीरिक और मानसिक जीवन जीने के लिए विशेष प्रतिवेदक

ई-मेलः srhealth@ohchr.org

आंतरिक विस्थापित व्यक्तियों के लिए विशेष प्रतिवेदक

ई-मेलः idp@ohchr.org

सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता के लिए विशेष प्रतिवेदक

ई-मेलः srwatsan@ohchr.org

मूल निवासियों के लिए विशेष प्रतिवेदक

ई-मेलः indigenous@ohchr.org

मानवाधिकार रक्षकों के लिए विशेष प्रतिवेदक

ई-मेलः defenders@ohchr.org

अल्पसंख्यक मामलों के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ

ई-मेलः minorityissues@ohchr.org

समुचित आवास पर विशेष प्रतिवेदक संयुक्त राष्ट्र सहित, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष प्रक्रियाओं हेतु कैसे करें सूचना का प्रस्तुतीकरणः

मानवाधिकारों के लिये उच्चायुक्त के कार्यालय के निर्देशानुसार, एक शिकायत के आंकलन/परीक्षण के क्रम में/के दौरान निम्नलिख्ति सूचना(ओं)/दस्तावेजों की अंग्रेजी में जरूरत होती है:-

- कथित अपराधियों की पहचान।

- यदि प्रासंगिक हो, गैर-राज्य कर्त्ताओं सहित इसमें शामिल सभी कर्त्ताओं पर परिपुष्ट जानकारी प्राप्त की जानी चाहिये।

- संप्रेषण (सूचना) प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति(यों) या संगठन(नों) की पहचान (यह सूचना गुप्त रखी जायेगी)।

- उल्लंघन/अतिक्रमण या घटना(ओं) की परिस्थितियों का विस्तृत विवरण और स्थान तथा दिनांक।

पहले ही घटित हो चुके, जारी या घटित होने वाले उल्लंघनों के बारे में प्रस्तुत जानकारी में उल्लेख कर सकते हैं।

कथित उल्लंघन से संबंधित विशिष्ट आरोप (के मामले में) के अन्य विवरण प्रासंगिक जनादेश विषयक् द्वारा (संभवतः) जरूरी हो सकते हैं। (मसलन निवारण हेतु तलाशे गये अन्य उपाय या विधिक उपचार) मानवाधिकारों के उल्लंघनों और समस्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों हेतु उच्चायुक्त के कार्यालय पर विशिष्ट प्रक्रियाओं के लिए स्थित केंद्रीकृत पटल (डेस्क) की सेवा में/के पास निम्नलिखित तरीकों में से किसी जरिये से सूचना प्रस्तुत की जा सकती है।

फैक्सः +41-22-917-9006

ई-मेलः urgent-action@ohchr.org

डाक का पताः

OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10
Switzerland

कृपया! जिस विशेष प्रक्रिया के तहत् सूचना संबोधित है उसे लिफाफे की जिल्द या, फैक्स अथवा ई-मेल की शीर्षक रेखा में निर्दिष्ट करें।

7. संयुक्त राष्ट्रसंघ संधि निकाय

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संधि निकाय स्वतंत्र विशेषज्ञों की समितियां हैं, जो कि मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के कार्यान्वयन/क्रियान्वयन की निगरानी करता है। एक संधि करने के लिये प्रत्येक राज्य इकाई यह वादा करती है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति संधि में संस्थित और संरक्षित किये गये अधिकारों का उपभोग कर सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये जायेंगे। संधि निकाय(यों) संधि में स्थापित किये गये प्रावधानों के अनुसार अनेक कार्यों को अंजाम देते हैं। इनमें राज्य पक्षों का विचारण, समसायमिक प्रतिवेदनों, संधिक प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित सामान्य टिप्पणियों को जारी करना, व्यक्तिगत शिकायतों का विचारण, देश की पूछताछ का आयोजन और संधियों से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श का आयोजन करना शामिल हैं।

वहां पर मानव अधिकारों में मान्यता प्राप्त योग्यताधारक स्वतंत्र विशेषज्ञों से निर्मित नौ मूलभूत संधि निकाय स्थित हैं, जो सुनिश्चित चार सालों की अवधि के लिये राज्य पक्षों द्वारा नामजद और निर्वाचित किए गए हैं/किए जाते हैं।

मानवाधिकार संधियों की निगरानी के लिए भारत द्वारा अभिपुष्ट/अनुमोदित संबंधित छह संधि निकाय निम्नलिखित हैं:-

(क) मानवाधिकार समिति

(नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता के साथ अनुपालन की निगरानी)

दूरभाष: +41-22-917-9261

फैक्स: +41-22-917-9008

ई-मेल: ccpr@ohchr.org

(ख) सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति

(सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता के साथ अनुपालन की निगरानी)

दूरभाष: +41-22-917-9000

फैक्स: +41-22-917-9008

ई-मेल: cescr@ohchr.org

(ग) नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर समिति

(नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के साथ अनुपालन की निगरानी)

दूरभाषः +41-22-917-9757

फैक्सः +41-22-917-9008

ई-मेलः cerd@ohchr.org

(घ) महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति

(महिलाओं के खिलाफ भेद-भाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौते के साथ अनुपालन की निगरानी)

दूरभाषः +41-22-917-9443

फैक्सः +41-22-917-9008

ई-मेलः cedaw@ohchr.org

(च) बालअधिकारों पर समिति

(बाल अधिकारों पर समझौते के साथ अनुपालन की निगरानी)

दूरभाषः +41-22-917-9141

फैक्सः +41-22-917-9008

ई-मेलः crc@ohchr.org

(छ) विकलांगों के अधिकारों पर समिति

(विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समझौते के साथ अनुपालन की निगरानी)

दूरभाषः +41-22-917-9703

फैक्सः +41-22-917-9008

ई-मेलः crpd@ohchr.org

8. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् - सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा-तंत्र

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् (यूएनएचआरसी) –जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंत:सरकारी निकाय है– ने 2008 में एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार समीक्षातंत्र की शुरुआत की, जिसे सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर) कहा गया। यूपीआर के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्य राज्यों/राष्ट्रों के मानवाधिकार अभिलेख की प्रत्येक साढ़े चार साल के अंतराल में समकक्ष समीक्षा होती रहती है।

इस समीक्षा में यूएनएचआरसी, संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र में निहित कानूनी मानदण्डों–मानव अधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा, प्रत्येक राज्य/राष्ट्र द्वारा अंगीकार मानवाधिकार कारकों के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और राज्य/राष्ट्र की स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर सदस्य राज्य/राष्ट्र का एक मानवाधिकर आकलन आयोजित करता है। समकक्ष समीक्षा के उपरांत मानवाधिकार परिषउ् सदस्य राज्य/राष्ट्र के लिये सिफारिशें पेश करती है।

भारत 2008 और 2012 में, मानवाधिकार परिषद में दो समीक्षाओं से गुजर चुका है। मई 2012 में भारत के मानवाधिकार अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद यूएनएचआरसी ने भारत के लिये 169 सुझाव प्रस्तावित किये। सितंबर 2012 में भारत सरकार इनमें से 67 सुझावों को अपनाने के लिये सहमत हुई। एक सुझाव जो आवास से संबंधित था (आवास और पुनर्वास के क्षेत्र में अपनायी गयी योजनाओं को चालू रखने का) को भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया। यद्यपि भारत द्वारा स्वीकार कई सिफारिशें समुचित आवास और भूमि के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यताओं के मद्देनजर सरकारी जिम्मेदारियों के रूप में प्रयोग में लायी जा सकती हैं। इसके अलावा मानवाधिकार परिषद के साथ–साथ अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर गठित समिति की सिफारिशों का अवलोकन भी महत्वपूर्ण है।

समुचित भूमि एवं आवास हेतु मानवाधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् (2012) द्वारा भारत के लिये यूपीआर की सिफारिशें

समुचित जीवन स्थितियां, गरीबी उन्मूलन तथा समाज का आर्थिक विकास

- रोजगार अवसरों में वृद्धि के साथ बेहतर रहन-सहन हालात और गरीबी उन्मूलन हेतु निरंतर प्रयास।
- खासकर समाज के गरीब समूहों जैसे महिला, बाल, गरीबों और अल्पसंख्यकों के पक्ष में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के उपभोग हेतु अधिकाधिक संसाधान प्रदान करना।
- इन लोगों के ज्यादा से ज्यादा कल्याण के लिये सामाजिक बहिष्कार तथा गरीबी को कम से कम करने हेतु सारभूत (अनिवार्य) समाज के आर्थिक सशक्त उपायों और कार्यक्रमों का निरंतर निर्माण।
- लोगों के, खासकर महिलाओं और बच्चों के आधारभूत मानवाधिकारों के उपभोग तथा गरीबी उन्मूलन पर सुधारों की दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति जारी रहे/है।
- खासकर बालशोषण के खिलाफ साथ ही साथ अपनी बाल संरक्षण रणनीतियों, गरीबी

उन्मूलन रणनीतियों के सशक्तीकरण को जारी रखा जाय।

- इसके अलावा ग्रामीण आबादी पर विशेष ध्यान देते हुए गरीबी उन्मूलन के प्रयासों की सुदृढ़ता।
- अमीर और गरीब के बीच मौजूद बड़े अंतर को खत्म करने हेतु कोशिशें करना।
- गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक विकास को सतत् प्रोत्साहन।

बराबरी और निष्पक्षता

- महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और प्रभावी संवर्धन हेतु सकारात्मक उपायों के साथ विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को सतत् शामिल रखना।
- लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और लिंग आधारित भेदभाव की रोकथाम के उपायों पर प्रयासों को बढ़ाना/में वृद्धि।
- प्रासंगिक कानूनी और संस्थागत तंत्र के लगातार सशक्तीकरण और जागरूकता वृद्धि के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिये उठाये गये कदमों पर/किये गये उपायों पर निरंतर अमल करना।
- लैंगिक मुद्दों की संख्या के मद्देनजर बजट तथा सामाजिक कानूनों का पुर्नपरीक्षण।
- उचित निगरानी तंत्र की मौजूदगी में महिलाओं, बालिकाओं, बच्चों और साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर के अधिकारों और कल्याण के संरक्षण तथा प्रोत्साहन के लिये प्रगतिशील नीतिगत पहलों और उपायों के भावी उद्देश्यों को भरोसे के साथ भलीभांति प्राप्त कर रहे हैं।
- विकलांग तथा बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- बच्चों और महिलाओं के कल्याण पर सतत कार्य।

पानी और सफाई व्यवस्था

- भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ तथा सुरक्षित पेयजल के उपयोग में और स्वच्छता व्याप्ति में तेजी लाना।
- स्वास्थ्य तथा संकेतकों के मध्य संबंधों की मजबूती के लिए स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और पोषण के स्तर में वृद्धि के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य हेतु राष्ट्रीय परियोजना जैसे कार्यक्रमों को हर संभव समर्थन और सहायता प्रदान करना।

राष्ट्रीय समन्वय

- प्रासंगिक राष्ट्रीय अधिकरणों और मानवाधिकार संस्थाओं के मध्य भावी समन्वय को आगे बढ़ाना।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के क्रम में अन्य देशों के साथ घटित अनुभवों और व्यवहारों का आदान-प्रदान और संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग को जारी रखना।
- विशेष प्रक्रियाओं को अंगीकार करते हुए उनके साथ सहयोग जारी रखना, खासकर विशेष प्रतिवेदकों से भ्रमण का अनुरोध करना।

भारत का अगला यूपीआर वर्ष 2016 में आयोजित होगा। इस अवधि के दौरान विभिन्न नागरिक समाज संगठन यूएनएचसीआर द्वारा निर्मित यूपीआर सिफारिशों को लागू करने में भारत की प्रगति को आंकलित कर सकते हैं और साथ ही 2014 में एक मध्यावधि प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें। वे स्वतंत्र प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं जोकि हित साधकों के ऊपर एक व्यापक प्रतिवेदन हो तथा देश की समीक्षा से पहले परिषद् को प्रस्तुत हो।

यूपीआर इस प्रकार सरकारों को उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेही धारण करने के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है।

उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक (यूनएन स्पेशल रैपोरटर ऑन एडीक्युएट हाउसिंग)

फैक्सः (0041) 22-917-9006

ईमेलः urgent-action@ohchr.org / srhousing@ohchr.org

निष्कर्ष

''आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) के तहत 'आवास का अधिकार' तथा अनुच्छेद 21 के तहत 'जीने का अधिकार' से अभिप्रेरित है।''

आवास का अधिकार एक ऐसा मानवीय अधिकार है जो अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रदान किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने अनेक फैसलों में 'उपयुक्त आवास के अधिकार' को 'जीने के अधिकार' के एक विस्तार के रूप में स्वीकार किया है।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् बनाम फ्रैंड्स कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. के बीच हुए एक वाद में 1996[1] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है-

आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) के तहत 'आवास का अधिकार' तथा अनुच्छेद 21 के तहत 'जीने का अधिकार' से अभिप्रेरित है।

इस सबके बावजूद दिल्ली में उपयुक्त आवास के अधिकार का बार-बार उल्लंघन होता आया है। जबरन बेदखली से मानवाधिकारों का व्यापक पैमाने पर उल्लंघन होता है, विशेषकर आवास के अधिकारों का। राज्य सरकार को जबरन बेदखली पर स्थगनादेश थोपने के बजाय शहर के गरीब लोगों के लिए सस्ते घर बनाने चाहिए एवं स्थलीय उपयोग की कानूनी आवधिकता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए। आम लोगों के व्यापक हितों तथा स्वास्थ्य के मद्देनजर असामान्य परिस्थितियों में जहां कहीं भी जबरन बेदखली कराना जरूरी हो वहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों तथा दिशा-निर्देशों का पालन अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। यह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की कानूनी

1. (1996) एआईआर 114 1995 एससीसी

जिम्मेदारी है कि वे सभी भारतीय निवासियों के लिए उपयुक्त आवास के मानवाधिकारों को पूरा करें तथा उनका सम्मान और संरक्षण करें।

आशा की जाती है कि यह पुस्तिका ऐसे सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी जिन्हें उनके आवास से जबरन बेदखल कर दिया गया है, तथा वे भी जो आये दिन अपने आवास से बेदखल हो जाने के डर में जीवन जी रहे हैं और बेदखली की धमकियों का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही यह पुस्तिका अपने अधिकारों को जानने, मुआवजा/क्षतिपूर्ति प्राप्त करने, राज्य की जिम्मेदारी को जानने और न्याय प्राप्त करने की दिशा में जो भी संभव जानकारी या गतिविधियां हो सकती हैं, उनमें सहायक होगी। ■

''प्रत्येक महिला, पुरुष, युवा व बच्चे को एक सुरक्षित घर प्राप्त करने और उसे बनाये रखने का अधिकार प्राप्त है, ताकि वह अपने समुदाय में शांति और सम्मान के साथ जीवन जी सके।''

–संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक

''किसी भी सभ्य समाज में पूर्णरूपेण प्रदत्त 'जीने का अधिकार' के अंतर्गत भोजन, पानी, सुखद पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आश्रय के अधिकार सन्निहित हैं। ये सभी किसी भी सभ्य समाज में मान्य मूलभूत मानवाधिकार हैं। सभी तरह के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार –मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र में एवं सम्मेलनों में प्रतिष्ठापित हैं। अन्यथा भारतीय संविधान के अंतर्गत इन सभी मूलभूत अधिकारों के बिना 'जीने का अधिकार' पर अमल नहीं हो सकेगा।''

–भारत का सर्वोच्च न्यायालय

उपयुक्त आवास का अधिकार एक ऐसा मानवीय अधिकार है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रदान किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने अनेक फैसलों में 'उपयुक्त आवास के अधिकार' को 'जीने के अधिकार' के एक विस्तार के रूप में स्वीकार किया है।

इस सबके बावजूद दिल्ली में उपयुक्त आवास के अधिकार का बार-बार उल्लंघन होता आया है। जबरन बेदखली से मानवाधिकारों का व्यापक पैमाने पर उल्लंघन होता है, विशेषकर आवास के अधिकार का। राज्य सरकार को जबरन बेदखली पर कानूनी रोक लगाने के बजाय शहर के गरीब लोगों के लिए कम लागत वाले घर बनाने चाहिए एवं स्थलीय उपयोग की कानूनी आवधिकता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए। आम लोगों के व्यापक हितों तथा स्वास्थ्य के मद्देनजर असामान्य परिस्थितियों में जहां कहीं भी जबरन बेदखली कराना जरूरी हो वहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों तथा दिशा-निर्देशों का पालन अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। यह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है कि वे सभी भारतीय निवासियों के लिए उपयुक्त आवास के मानवाधिकारों को पूरा करें तथा उनका सम्मान व संरक्षण करें।

आशा की जाती है कि यह पुस्तिका ऐसे सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी जिन्हें उनके आवास से जबरन बेदखल कर दिया गया है, तथा वे भी जो आये दिन अपने आवास से बेदखल हो जाने के डर में जीवन जी रहे हैं और बेदखली की धमकियों का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही यह पुस्तिका अपने अधिकारों को जानने, मुआवजा/क्षतिपूर्ति प्राप्त करने, राज्य की जिम्मेदारी को जानने और न्याय प्राप्त करने की दिशा में जो भी संभव जानकारी या गतिविधियां हो सकती हैं, उनमें सहायक होगी।

आवास और भूमि अधिकार संगठन

(हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क)

जी-18/1, निजामुद्दीन वेस्ट, लोअर ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली-110 013

contact@hlrn.org.in | www.hlrn.org.in